

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492007

पंजीयन क्रमांक. 225 दिनांक 31.10.2000



नवर्मी वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 13 मार्च 2009

समय : दोपहर 2.30 बजे

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25 व्ही.आई.पी.इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाष: (0771) 4065100 से 4065110 तक फैक्स : 2283594

E-mail : cgmfpfed@sancharnet.in

Website : www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/सह./2009/3228

रायपुर दिनांक/ 28/02/2009

प्रति,

1. माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर.
2. श्री संगेसिंग वट्टी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम पो. धनेसरा, तह. नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकिर, छ.ग..
3. श्रीमती ब्रह्मानी चन्द्राकर, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम अछोली, पो. आमगांव, तह. छुरिया, जिला राजनांदगांव, छ.ग..
4. श्री रूपनारायण पाण्डेय, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम मुड़ीझरिया, पो. पतरापाली, तह. बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग..
5. श्री पुनीत राम सिन्हा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम- छेल डोगरी, पो. गोहरापदर, थाना व तह. मैनपुर, जिला रायपुर.
6. सचिव, जनजातीय कार्य, मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110016.
7. कार्यकारी संचालक, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई, बिल्डिंग दूसरी मंजिल 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त कांति मार्ग, नई दिल्ली-110016.
8. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
11. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर.
12. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
13. श्री सतीश पाण्डे, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
14. मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
15. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.
16. श्री बलभद्र सिंह ठाकुर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायपुर, संघ प्रतिनिधि, पता-ग्राम बरपानी, पो.सोनपुर व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर.
17. श्री रामनारायण, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व रायपुर, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम व पोस्ट फिंगेश्वर, तह.राजिम जिला रायपुर.
18. श्री रविशंकर गोड़, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुंद, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम सरेकेल पोस्ट तुरेंगा जिला महासमुंद.
19. श्री आलोक सिन्हा, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम व पोस्ट नगरी.
20. श्री तीजम सिंह मरावी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम ठरकपुर, पोस्ट जुहली जिला बिलासपुर.
21. श्री डोमन सिंह राज, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम बरड़, पोस्ट मजवानी, तहसील कोटा, बिलासपुर.
22. श्री नृपत सिंह राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम-बैहामुड़ा, पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा.
23. श्रीमती मानकुंवर राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम बरतापाली, पोस्ट गेरसा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रागयढ़.

24. श्री अक्षय कुमार अग्रवाल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम लखनपुर, पोस्ट सुतरी, तह.कटघोरा, जिला कोरबा.
25. श्री उधोराम कश्यप, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, संघ प्रतिनिधि,
पता- मु.सण्डैल, पो.सरगंडिया, जिला कोरबा.
26. श्री चुन्नीलाल साहू, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर चांपा, संघ प्रतिनिधि,
पता- मुकमा पोस्ट किशोरा, जिला जॉजगीरचॉपा.
27. श्री गंगाराम ठाकुर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दुर्ग, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम कंजेली, तहसील बालोद, जिला दुर्ग.
28. श्री मोतीराम उर्फ़े, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खेरागढ़, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम खमपुर, पो.बोरतालाब, तह.डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव.
29. श्री पंचराम धुर्वे, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, करवर्धा, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट कुकदुर, तह.करवर्धा, जिला करवर्धा.
30. श्री केदारनाथ साहिनी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट माडपाल.
31. श्री सुकमन सोढ़ी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम डारापार, तह.भैरंगढ़, जिला बीजापुर.
32. श्री कवासी रमेश, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट रामाराम तह.कोंटा, जिला.द.ब.दंतेवाड़ा.
33. श्री नीलम गनपत, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम-गुलापेंट्रा पो.-चंदनगिरी तह. भोपालपटनम जि.-बीजापुर.
34. श्री सुकदास शार्दुल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोंडागांव, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम गिरोला, पोस्ट गिरोला, तह.कोडागांव जिला बस्तर.
35. श्री हेमंत शांडिल्य, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर कोंडागांव, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम सुरडोंगर, पोस्ट तह.केशकाल, जिला बस्तर.
36. श्री प्रेमलाल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर कोंडागांव, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम बेनूरु, पोस्ट बैनूर, जिला नारायणपुर.
37. श्री दिवाकर बैरागी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम पी.व्ही.39 पोस्ट पी.व्ही.38 तह.पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर.
38. श्री टीकम टांडिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट भीरागांव, तह.भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तरकांकेर.
39. श्री कृष्ण मुरारी यादव, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर सरगुजा, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम गाजर, पोस्ट रामचंदपुर, जिला सरगुजा.
40. श्री करमदेव, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व सरगुजा, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम ओंकारनगर, पोस्ट महाराजगंज, जिला सरगुजा.
41. श्री रामराज सिंग, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम चरख्वर पो. सिंगरौली तह. भरतपुर जिला कोरिया.
42. श्री रामस्वरूप यादव, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम खैरापार, पोस्ट खम्हरिया, तह.बगीचा, जिला जशपुर.

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की नवर्मी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 13.03.2009 की सूचना ।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/वनो/सह./2009/2614 दिनांक 18.02.2009 ।

-000-

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की नवर्मी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 13.03.2009 दिन शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ए-25 व्ही.आई.पी. इस्टेट खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर में अपरान्ह 2.30 बजे से आयोजित की सूचना दी गई है । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के सदस्यों अर्थात् प्रत्येक जिला वनोपज सहकारी यूनियन से निर्वाचित प्रतिनिधि एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के संचालकों की उपस्थिति प्रार्थनीय है । वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार करने हेतु आहूत है ।

कार्यसूची

विषय क्रमांक -1	आठवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29.03.2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।
विषय क्रमांक -2	वित्तीय वर्ष 2008-09 में किये गये कार्यों का विवरण ।
विषय क्रमांक -3	वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।
विषय क्रमांक -4	वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये बजट की स्वीकृति ।
विषय क्रमांक -5	वित्तीय वर्ष 2000-01 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।
विषय क्रमांक -6	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित की उप विधि की कंडिका 19, 19 (1) एवं 19 (4) में संशोधन ।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

नोट:- निर्धारित समय पर गणपूर्ति के अभाव में आयोजित वार्षिक साधारण सभा आधे घण्टे स्थगित होने के पश्चात अपरान्ह 3.00 बजे से पुनः उसी स्थान पर साधारण सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी ।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सभा में उपस्थिति प्रार्थनीय है । वार्षिक साधारण सभा की पुस्तिका संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

सही/-

(एल.एल.रायस्त)

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर

अध्यक्षीय उद्बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की नवर्मी वार्षिक आमसभा में आप सभी नव निर्वाचित सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ। हर्ष का विषय है कि संघ की 896 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं 32 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में सहकारी विधान/नियम में निहित प्रावधानों के तहत प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराये जा चुके हैं। इसी के साथ संघ के पंजीयन के बाद से प्रथमबार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ में भी निर्वाचित संचालक मंडल का गठन हुआ है। इस प्रकार वर्तमान में संघ के तीनों स्तरों पर निर्वाचित संचालक मंडल कार्यरत हैं। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया निर्विवाद एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई। इसके लिए मैं सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों/संचालकों के साथ संघ के अधिकारियों को भी साधूवाद देता हूँ।

छत्तीसगढ़ राज्य अपने विपुल संसाधनों के लिए विख्यात है। प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के बाद भी उसका समुचित विदेहन नहीं होने के कारण यहाँ के निवासी विशेषकर सुदूर ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले निर्धन हैं। इस विषमता को दूर करने के उद्देश्य से ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ अपनी सम्बद्ध 32 जिला यूनियनों एवं 915 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक सामाजिक उन्नति को पुनीत उद्देश्य मानकर कार्य कर रहा है।

संग्रहण सीजन 2008 में 13.78 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हुआ था और इसका विक्रय मूल्य रु. 197.62 करोड़ है। संग्रहण वर्ष 2009 में तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 600 रुपये प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 650 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। इससे संग्राहकों को लगभग रुपये 8.97 करोड़ अधिक संग्रहण पारिश्रमिक प्राप्त होगा।

संग्रहण वर्ष 2009 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्तें की अनुमानित मात्रा 17.93 लाख मानक बोरा का अग्रिम निर्वर्तन किया जा चुका है। इसके विक्रय से लगभग रुपये 311.43 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। इससे लगभग 150 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होने का अनुमान है, जिससे संग्राहकों को लगभग रुपये 116.55 करोड़ प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होने की संभावना है। तेन्दूपत्ता के व्यवसाय में आशातीत सफलता के लिए मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2007 के तेन्दूपत्ता एवं सालबीज के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 70 प्रतिशत की राशि रु. 103.30 करोड़ की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरित किया गया है तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 के विक्रय से राशि प्राप्त होने पर लगभग रुपये 62.58 करोड़ की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी शासन निर्देशानुसार तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार की एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरित की जावेगी। इस हेतु राज्य शासन से लघु वनोपज संघ को रुपये 10 करोड़ की राशि प्राप्त हो गई हैं। रुपये 52.98 प्रति जोड़ी की दर से लगभग 13.00 लाख जोड़ी चरणपादुका क्रय किये जाने की योग्यता की जा रही है। हमारा यह

प्रयास हैं कि वर्षा ऋतु के पूर्व तक तेन्दूपत्ता संग्राहक महिलाओं को चरणपादुका का वितरण कर दिया जाए।

वर्ष 2008-09 में समिति क्षेत्र के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 की रूपये 22.69 करोड़ की राशि जिला यूनियन के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। अतः ग्रामों की आवश्यकता के अनुरूप इस राशि से मूलभूत सुविधा संबंधी कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाये, ताकि ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके।

शासन निर्णय अनुरूप तेन्दूपत्ते के व्यापार की रु. 55 करोड़ की राशि से वन एवं वनोपज के विकास संबंधी कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुये अराष्ट्रीयकृत वनोपज के उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता आधारित संग्रहण, मूल्य वर्धन हेतु प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देते हुए इससे जुड़े संग्राहकों को अतिरिक्त आय प्रदाय करने हेतु संघ के द्वारा विशेष प्रयास जारी है। उपरोक्त कार्यों में लक्ष्य के अनुसार सफलता प्राप्त करने हेतु पूरे प्रदेश में संसाधन सर्वेक्षण कार्य कराया जाकर लक्ष्य प्रजाति को चिन्हांकित कर उन प्रजाति के संग्रहण, संवर्धन एवं मूल्य वर्धन कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज संवर्धन एवं विकास हेतु वर्ष 2006-07 में यूरोपियन कमीशन की सहायता से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुख कार्य परियोजना, जिसकी लागत रूपये 21.20 करोड़ हैं, प्रारंभ की गई है। इस हेतु अभी तक रूपये 9.01 करोड़ का बजट आंबटन प्राप्त हुआ है। इस राशि से लघु वनोपज का संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्य जैसे कि संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टप्राइजेस स्थापना, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इससे राज्य के लघु वनोपज संग्राहकों को अतिरिक्त रोजगार एवं आय प्राप्त हो रही हैं।

वर्ष 2008-09 में स्थानीय स्व सहायता समूह/वन समिति/प्राथमिक वनोपज समिति के माध्यम से वनोपज संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन किये जाने वाबत् संघ द्वारा प्रयास किया गया है। विभिन्न स्त्रोंतों द्वारा प्राप्त राशि से माहुल पत्ता, शहद, इमली, तैतीय बीज, आंवला तथा वनौषधी आधारित माइक्रोइन्टप्राइजेस स्थापित किये गये हैं। इस वर्ष समस्त वृत्त मुख्यालयों पर स्थापित NWFP मार्ट में विपणन कार्य किया जा रहा है तथा प्रत्येक जिला यूनियन स्तर पर संजीवनी स्थापित की गयी हैं। हर्बल विशेषज्ञों के माध्यम से पैकेजिंग, लेबलिंग तथा प्रोडक्ट प्रमोशन में सुधार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके साथ क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 2943 कृषक/संग्राहक लाख, कुल्लू गोंद, शहद, औषधि खेती एवं माहुल पत्ता आदि विषयों में प्रशिक्षित किये गये हैं। इस शृंखला को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2009-10 में विभिन्न स्त्रोंतों से राशि प्राप्त कर, कुल रु. 45.32 करोड़ विभिन्न घटकों में व्यय किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। इन प्रयासों से मुझे आशा है कि अकाष्ट्रीय वनोपज आधारित कार्यों के विकास में अच्छी गति आयेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2007-08 में पुनः 7160 टन लाख का उत्पादन कर पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। लाख की खेती एवं प्रसंस्करण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में 6 लाख फैसिलिटेशन केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में एक लाख गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला की भी स्थापना की जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2009-2010 के बजट में रूपये 250 लाख का प्रावधान किया गया है। अतः

आगामी वर्ष में लाख की खेती एवं प्रशिक्षण के कार्य में और अधिक वृद्धि की जायेगी, ताकि लाख की खेती से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

यू.एन.डी.पी. - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से वर्ष 2008-09 से 2010-2011 तीन वर्षों के लिये 2.5 करोड़ की जन सहयोग आधारित जैव विविधता संरक्षण व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजना स्वीकृत की गयी है। इस परियोजना को संचालन हेतु जगदलपुर, उत्तर कोण्डागांव एवं कटघोरा वनमंडल के कुल 9365 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत वन एवं कृषि क्षेत्र के जैव विविधता संरक्षण के कार्य, लघु वनोपज का प्रसंस्करण तथा जड़ी बूटी आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा व वनौषधालय के कार्य किये जावेंगे।

संग्राहक परिवारों के आर्थिक विकास के साथ-साथ उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम सदैव प्रयासरत हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की “जनश्री” बीमा योजना दिनांक 01.05.2007 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य हैं बीमित हैं। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रु. 20,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रु. 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रु. 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रित को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवार के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी.आई में पढ़ने वाले दो बच्चों को रूपये 300/- प्रति तिमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। इस योजना की बीमा प्रीमियम के भगुतान हेतु रूपये 9.45 करोड़ की राशि शासन द्वारा संघ को उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अप्रैल 08 से जनवरी 2009 तक 4214 दावा प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं जिनके लिए रूपये 8.99 करोड़ की दावा राशि सम्बंधित परिवारों को उपलब्ध कराई गई, इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा छात्र-छात्राओं के लिये रूपये 6.92 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदाय की गई है।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा समूह बीमा योजना संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष सदस्य जो 18 से 59 वर्ष की आयु के हैं, उनका भी समूह बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा किया गया है, जिसमें संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 3500/-, आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 12,500/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 25,000/- संग्राहक अथवा उसके आश्रित को प्राप्त होती है। समूह बीमा योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अप्रैल 08 से जनवरी 2009 तक 4123 दावा प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं, जिनके लिये रूपये 1.97 करोड़ की दावा राशि स्वीकृत की गई है।

संघ के कार्यों के संपादन हेतु अमले की कमी को दूर करने के लिए मेरे द्वारा सतत प्रयास किये गये हैं। संघ के स्टाफिंग पैटर्न की स्वीकृति के पश्चात रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के सहायक ग्रेड - 3 के 11 पद, संदेश वाहक के 8 पद तथा वाहन चालक के 2 पद पर नियुक्ति की गई हैं। दिसम्बर 1997 तक के संघ में लगातार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले 32 श्रमिकों का संदेश वाहक के पद पर नियमितीकरण किया गया है। शेष योग्य पाये गये श्रमिकों के नियमितीकरण हेतु शासन से साख्येतर पदों की स्वीकृति चाही गई है। डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के 6 पदों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के सहायक ग्रेड - 3 के 5 पद एवं संदेश वाहक के 12 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रगति पर हैं।

896 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबन्धकों के मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि कर रु. 3500 प्रति माह निर्धारित किया गया।

सहकारिता की भावना से वनोपज संघ तथा वन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा संग्राहक एवं संघ के हित में किये जा रहे निष्ठापूर्वक कार्यों की मैं, प्रशंसा करता हूँ। उनसे यह अपेक्षा है कि वे सदैव लघु वनोपज संग्राहकों के हित को सर्वोपरि रखकर कार्य करें।

आभार

यह संघ लघु वनोपज तथा वनौषधियों के विकास, संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन, एवं प्रशिक्षण की गतिविधियों से लगभग 13.00 लाख लघु वनोपज संग्राहक परिवारों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में उल्लेखनीय सार्थक योगदान के मार्ग में सक्षमता से अग्रसर है। यह आप सभी के तथा इन गतिविधियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कठोर परिश्रम तथा लगन से ही संभव हो पा रहा है। इसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ भविष्य में भी आप सभी इसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इन लघु वनोपज संग्राहकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। मैं लघु वनोपज के कार्यों में जिला यूनियन तथा प्राथमिक वनोपज समितियों के नवनिर्वाचित संचालक मंडलों की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करता हूँ ताकि कार्यों का सफल कार्यान्वयन हो सके।

जय सहकार। जय छत्तीसगढ़।

(मुरारी लाल सिंह)
अध्यक्ष

विषय-सची

अ.क्र	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	आठवीं वार्षिक साधारण आम सभा दिनांक 29.03.2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निणयों का पालन प्रतिवेदन ।	1-5
2.	वित्तीय वर्ष 2008-09 में किये गये कार्यों का विवरण ।	6-33
3.	वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	34-39
4.	वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये बजट की स्वीकृति ।	40-46
5.	वर्ष 2000-01 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।	47
6.	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की उपविधि की कंडिका 19, 19 (1) एवं 19 (4) में संशोधन ।	48

विषय क्रमांक - 1

विषय : आठवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 29.03.2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की सातवीं वार्षिक साधारण सभा माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की अध्यक्षता में कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी.क्लब, के पास खम्हारडीह, शंकर नगर रायपुर के सभाकक्ष में दिनांक 29.03.2008 को अपरांह 2.30 बजे से आयोजित की गई ।

साधारण सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे :-

1.	माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री, छ.ग. शासन, वन विभाग	विशेष आमंत्रित
2.	माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, रायपुर	अध्यक्ष
3.	श्री सरजियस मिंज, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, रायपुर	सदस्य
4.	श्री आर.के.शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर	सदस्य
5.	श्री बी.के. सिन्हा, मुख्य वनसंरक्षक, (उत्पादन) वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर	सदस्य
6.	श्री कौशलेन्द्र सिंह, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, रायपुर	विशेष आमंत्रित
7.	श्री पी.आर.नाईक, अपर पंजीयक, प्रतिनिधि पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायपुर	सदस्य
8.	श्री चन्द्रकांत उड्के, उप सचिव, प्रतिनिधि, सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर	सदस्य
9.	श्री एन.के.सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रतिनिधि सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर	सदस्य

10.	श्री देवेन्द्र सिंह, वन संरक्षक रायपुर, प्रतिनिधि, रायपुर, पूर्व रायपुर, धमतरी, महासमुन्द तथा उदन्ती, जिला यूनियन	प्रतिनिधि
11.	श्री व्ही.रामाराव वन संरक्षक, जगदलपुर प्रतिनिधि , जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर तथा दतेवाड़ा जिला यूनियन	प्रतिनिधि
12.	श्री व्ही.श्रीनिवास राव, वन संरक्षक, कांकेर प्रतिनिधि , कांकेर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, उत्तर कोडागांव तथा दक्षिण कोडागांव जिला यूनियन	प्रतिनिधि
13.	श्री एम.टी.नन्दी वन संरक्षक, दुर्ग प्रतिनिधि , दुर्ग, कवर्धा, खैरागढ़ तथा राजनांदगांव जिला यूनियन	प्रतिनिधि
14.	श्री तपेश झा वन संरक्षक, सरगुजा प्रतिनिधि , उत्तर सरगुजा, पूर्व सरगुजा, दक्षिण सरगुजा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ तथा जशपुरनगर जिला यूनियन	प्रतिनिधि
15.	श्री पी.सी.पाण्डे वन संरक्षक बिलासपुर, प्रतिनिधि , बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़ कटघोरा, धरमजयगढ़ तथा मरवाही जिला यूनियन	प्रतिनिधि
16.	श्री ए.के. सिंह, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	सदस्य

आठवीं वार्षिक साधारण आमसभा की बैठक में श्री बी.एल.सरन, कार्यकारी संचालक (वित्त/व्यापार) एवं श्री आर.सी.रैगर, कार्यकारी संचालक (स्था/विकास) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे।

गणपूर्ति हो जाने पर आठवीं वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही निर्धारित समय अपरान्ह 2.30 बजे से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम प्रबंध संचालक संघ द्वारा आठवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित माननीय मंत्री जी, तथा संघ प्रतिनिधियों तथा संचालक मण्डल के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन दिया गया।

आठवीं वार्षिक साधारण सभा के निर्णय का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

प्रस्ताव क्रमांक	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
विषय क्रमांक : 1 सातवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन दिनांक 30.03.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा सातवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.03.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
विषय क्रमांक : 2 लघु वनोपज संघ की सातवीं वार्षिक साधारण आम सभा दिनांक 30.03.2007 के निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा सातवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया । विषय क्रमांक 6 वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 से अभी तक के लेखों की स्थिति के संबंध में माननीय वन मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के द्वारा वर्ष 2000-01 से 2006-07 तक के तैयार किये गये वित्तीय पत्रकों का अंकेक्षण कार्य पंजीयक, सहकारी संस्थाओं से 3 माह के अंदर पूर्ण कराकर आगामी संचालक मंडल की बैठक में अवगत करावे ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं । सहकारिता विभाग के अंकेक्षकों द्वारा वर्ष 2000-01 का अंकेक्षण पूर्ण कर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । सहकारिता विभाग से पारित अंकेक्षण टीप प्राप्त हो चुकी है । वर्ष 2001-02 का अंकेक्षण कार्य भी पूर्ण हो चुका है । शेष वर्षों का अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है ।
विषय क्रमांक : 3 वित्तीय वर्ष 2007-08 में किये गये कार्यों का विवरण ।	वार्षिक साधारण सभा में वनोपज संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 के किये गये कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया जिस पर सभा द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए निम्न निर्देश दिये गये :- (1) वर्ष 1997 तक के संघ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमितिकरण की कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जावे, तथा यदि पर्याप्त पद उपलब्ध नहीं हैं तो अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति शासन से ली जावे ।	(1) वर्ष 1997 तक के 32 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का सदेशवाहक के पद पर नियमीतिकरण किया गया ।

	<p>(2) वर्ष 2006 तक के तेन्दूपत्ता व्यापार से मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों हेतु जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई राशि से कराये गये कार्य की प्रगति संतोषप्रद न होने से, उपलब्ध कराई गई राशि के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये ।</p> <p>(3) वर्ष 2007 में सालबीज व तेन्दूपत्ता के व्यापार से हुए लाभ की राशि के उपयोग के संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रस्तुत किया जावें ।</p> <p>(4) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों के लेखा प्रशिक्षण के संबंध में निर्णय लिया गया कि शेष बचे 104 समिति प्रबंधकों को प्रशिक्षण की कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जावे ।</p> <p>(5) लघु वनोपज के वन उत्पाद एवं विपणन के संबंध में निर्देशित किया गया कि संघ द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों का निर्माण व विक्रय की प्रगति बहुत कम हैं । इसमें अत्यधिक वृद्धि की जावे । संघ द्वारा विक्रय किये जा रहे हर्बल उत्पादों की दरें अन्य प्रतिष्ठित, निर्माताओं की दरों से काफी</p>	<p>(2) संघ के परिपत्र क्रमांक /वनो/ संघ/वित्त/2008/11050 दिनांक 18.09.08 के द्वारा तथा संघ कार्यालय में आयोजित वृत्त वार समीक्षा बैठक में संग्रहण वर्ष 2007 के साथ-साथ समस्त संग्रहण वर्षों के लंबित कार्यों को गति लाने के निर्देश दिये गये ।</p> <p>(3) वर्ष 2007 के सालबीज व तेन्दूपत्ता व्यापार से हुए लाभ की राशि की 70 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित करने तथा 15 प्रतिशत राशि मूलभूत सुविधाएं व विकास हेतु उपयोग करने की स्वीकृति छ.ग. शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 7-50/2002/10-2 दिनांक 21.05.08 एवं क्रमांक/एफ 7-50/2002/10-2 दिनांक 2.08.08 द्वारा दिये गये हैं, जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।</p> <p>(4) 56 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों को लेखा प्रशिक्षण कराया गया ।</p> <p>(5) यूरोपियन कमीशन व लाख विकास योजना के माध्यम से वृद्धि की जा रही है । संघ के उत्पादों के विक्रय दर प्रतिष्ठित संस्थानों के विक्रय दर से अधिक नहीं है ।</p>
--	--	--

	<p>अधिक हैं। अतः इस विषय पर अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।</p> <p>(6) संघ द्वारा किये जा रहे कार्यों का प्रचार-प्रसार पर भी ध्यान देकर वृद्धि की जावे।</p>	<p>(6) मई-जून 2008 में विकास यात्राओं के दौरान समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये, होर्डिंग लगाये गये तथा वर्ष 2009 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बीमा राशियों, संग्राहकों के बच्चों की छात्रवृत्तियों तथा मूलभूत सुविधाओं के विकास की राशि का वितरण माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्रियों तथा जन प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया।</p>
<p>विषय क्रमांक : 4 वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन।</p>	<p>वार्षिक साधारण सभा द्वारा वर्ष 2008-2009 के लिये प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन किया गया।</p>	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
<p>विषय क्रमांक -5 वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु स्वीकृत बजट पर टीप।</p>	<p>वार्षिक साधारण सभा वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए सातवी साधारण आमसभा द्वारा स्वीकृत बजट पर प्रस्तुत टीप से अवगत हुई।</p>	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
<p>विषय क्रमांक -6 वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिये बजट की स्वीकृति।</p>	<p>वार्षिक साधारण सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिये प्रस्तावित बजट की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	स्वीकृत बजट के अनुरूप कार्य सम्पन्न किये गये।

विषय क्रमांक - 2

विषय : वित्तीय वर्ष 2008-09 में किये गये कार्यों का विवरण ।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबन्धक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाई गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के सहायक ग्रेड - 3 के 11 पद, सदेश वाहक के 8 पद, वाहन चालक के 2 पद पर नियुक्ति की गई हैं। इसके अतिरिक्त शीघ्रलेखक के 2 पद, डाटा एन्ट्री आपरेटर (नियमित) के 6 पद तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के 8 पदों पर नियुक्ति की गई हैं। दिसम्बर 97 से संघ में लगातार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले 32 श्रमिकों का सदेशवाहक के पद पर नियमितीकरण किया गया हैं।

डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के 6 रिक्त पदों पर सीधी भरती से नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के सहायक ग्रेड-3 के 5 तथा सदेश वाहक के 12 पदों पर सीधी भरती से विशेष भरती अभियान के तहत नियुक्ति की कार्यवाही प्रगति पर हैं।

(ii) तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम की “जनश्री” बीमा योजना दिनांक 01.05.2007 से लागू की गई है, जिसके अंतर्गत समस्त तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य है बीमित है। इस योजना के अंतर्गत समान्य मृत्यु होने पर रुपये 20,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रुपये 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रुपये 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रित को प्राप्त होगी। इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा रु. 8.99 करोड़ की दावा राशि स्वीकृत की गई है।

इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवार के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी.आई. में पढ़ने वाले 2 बच्चों को रुपये 300/- प्रति तिमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। इस योजना के प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है, तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जा रही है। प्रीमियम के भुगतान हेतु रुपये 9.45 करोड़ शासन से प्राप्त हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा छात्र / छात्राओं के लिये रुपये 6.92 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

(iii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

जनश्री बीमा योजना से तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया का ही बीमा होता है, शेष संग्राहक बीमा के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस कारण तेंदूपत्ता परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष लगभग 21 लाख संग्राहकों के लिये पुरानी समूह बीमा योजना जारी रखी गई। इस योजना के तहत संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने पर रु. 3500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रु. 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रु. 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है। इस योजना हेतु संग्राहक को देय प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है। समस्त देय प्रीमियम का भुगतान संघ द्वारा किया जाता है। संघ द्वारा वित्तीय वर्ष प्रीमियम के रूप में भारतीय जीवन बीमा को रुपये 1.31 करोड़ का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में माह जनवरी तक 4123 दावा प्रकरणों का निराकरण कर राशि रुपये 1.97 करोड़ का भुगतान किया गया है।

(iv) तेन्दूपत्ते का व्यापार

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 के 79 लाटों की मात्रा 1.25 लाख मानक बोरा विक्रय मूल्य रु. 23.38 करोड़, केताओं द्वारा जमा न कराये जाने के कारण उनका केता करारनामा निरस्त कर उक्त लाटों का पुनः निर्वर्तन की कार्यवाही की गई अब तक 4 निविदाओं में 35 लाट, मात्रा 0.57 लाख मानक बोरा रु. 5.94 करोड़ में पुनः विक्रय किया गया। इन 35 लाटों को पूर्व में विक्रय मूल्य रु. 10.14 करोड़ में बेचा गया था, दोनों विक्रय में अंतर की राशि रु. 4.20 करोड़ संबंधित लाटों के प्रथम केता से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। शेष 44 लाटों की 0.68 लाख मानक बोरा मात्रा के निर्वर्तन हेतु दिनांक 16.03.2009 को निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

वर्ष 2008 संग्रहण काल में संघ द्वारा प्रदेश की कुल 897 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ते का संग्रहण कराया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों से तेन्दूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण नहीं किया जाना है, अतः इन क्षेत्रों में वर्ष 2006 तथा 2007 की भाँति इस वर्ष 2008 में भी तेन्दूपत्ते संग्रहण नहीं किया गया है। तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 600/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई। सम्पूर्ण प्रदेश में बीड़ी बनाने योग्य अनुमानित उत्पादन के लक्ष्य 17.93 लाख मानक बोरा के विस्तृत अच्छी गुणवत्ता का 13.78 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ते का संग्रहण किया गया। पूरे भारतवर्ष में तेन्दूपत्ता की फसल में कमी होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी उत्पादन में कमी हुई। सुकमा जिला यूनियन की एक समिति कोन्टा जिसका अनुमानित उत्पादन 700 मानक बोरा था, में कोई संग्रहण नहीं हुआ।

अग्रिम में नियुक्त केताओं को संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहित 13.77 लाख मानक बोरा का परिदान दिया गया, जिसका विक्रय मूल्य रु. 197.49 करोड़ है। अग्रिम विक्रय में औसत विक्रय दर रु. 1434.15/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई। एक लाट में विभागीय संग्रहण कराया गया। इस लाट में 1141.117 मानक बोरा संग्रहित हुआ। जिसका विक्रय मूल्य रु. 0.13 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 1109/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल संग्रहित 13.78 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का विक्रय मूल्य रु. 197.62 करोड़ प्राप्त हुआ तथा औसत विक्रय दर रु. 1433.88/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई। जिला यूनियनवार अग्रिम विक्रय का विवरण परिशिष्ट ख में संलग्न है। तेंदूपत्ता कार्य में संलग्न विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भी भुगतान संघ की ओर से किया जाता है।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2009 में लगभग 17.93 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। संग्रहण वर्ष 2009 में तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 600/- प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर रु. 650/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। उक्त तेन्दूपत्ता के अग्रिम में निर्वर्तन हेतु दिनांक 12.01.2009, 27.01.2009 एवं 16.02.2009 को निविदायें आमंत्रित की गई। उक्त तिथियों में प्राप्त निविदाओं में अनुमानित मात्रा 17.93 लाख मानक बोरा रु. 311.43 करोड़ में विक्रय किया गया, जिससे औसत विक्रय दर रु. 1737/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई। जिला यूनियनवार निर्वर्तित लाटों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ग में संलग्न है।

(v) सालबीज का व्यापार

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश के 13 सालबीज उत्पादक जिलों में वर्ष 2008 में लगभग 0.899 लाख किंवंटल सालबीज का संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया है, जिसमें से अब तक 0.899 लाख किंवंटल सालबीज का अग्रिम निर्वर्तन रूपये 12.63 करोड़ में हुआ है। 315.46 किंवंटल सालबीज विक्रय हेतु शेष है जिसके निर्वर्तन हेतु

दिनांक 17.01.2009 एवं 20.02.2009 को नीलाम आयोजित किया गया था परन्तु कोई बोलीदार उपस्थित नहीं हुआ। जिला यूनियनवार विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 'घ' में संलग्न है।

संग्रहण वर्ष 2008 के सालबीज संग्रहकों को संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान रु. 1000/- प्रति किंवंटल की दर से कुल रूपये 8.99 करोड़ किया गया।

(vi) हरा का व्यापार

संघ द्वारा प्रदेश के 15 जिलों में अग्रिम में विक्रित हरा प्राथमिक समितियों के पर्यवेक्षण में क्रेता द्वारा तथा अग्रिम में अविक्रित हरा प्राथमिक समितियों के द्वारा संग्रहित किया जाता है।

वर्ष 2007-2008 में 38321.05 किंवंटल हरा, 1654.02 किंवंटल कचरिया एवं 13.20 किंवंटल बालहरा का संग्रहण किया गया है, जिसमें से अब तक 38314.86 किंवंटल हरा, 1579.53 किंवंटल कचरिया एवं 13.20 किंवंटल बालहरा विक्रय हो चुका है, जिसका विक्रय मूल्य रूपये 1.44 करोड़ है। 6.19 किंवंटल हरा एवं 74.49 किंवंटल कचरिया विक्रय हेतु शेष हैं।

संग्रहण वर्ष 2008-2009 में कुल 39 इकाईयों में से 23 इकाईयों का अग्रिम में निर्वर्तित किया जाकर हरा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2008-09 में हरा की संग्रहण दर रु. 375/- प्रति किंवंटल, कचरिया की रु. 937.50 प्रति किंवंटल तथा बाल हरा की रूपये 2625/- प्रति किंवंटल निर्धारित की गई है। वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों की विस्तृत जानकारी क्रमशः परिशिष्ट 'ड', एवं 'च' में संलग्न प्रेषित है।

(vii) गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) का व्यापार

कुल्लू वुक्षों में पुनरुत्पादन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल्लू गोंद संग्रहण दलेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है। संघ द्वारा इन जिलों में कुल्लू गोंद संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में अग्रिम में नियुक्त क्रेता माध्यम से कराया जा रहा है। वर्ष 2007-2008 में कुल्लू गोंद की संग्रहण दर रु. 15400/- प्रति किंवंटल प्रथम श्रेणी के लिये तथा रु. 11000/- द्वितीय श्रेणी के लिये शासन द्वारा निर्धारित की गई है। संग्रहण वर्ष 2007-2008 में प्रथम श्रेणी के 704.736 किंवंटल तथा द्वितीय श्रेणी के 371.860 किंवंटल गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) संग्रहण किया गया। जिसमें से अब तक प्रथम श्रेणी के 663.776 किंवंटल तथा द्वितीय श्रेणी के 2.000 किंवंटल गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) संग्रहित मात्रा का निर्वर्तन अग्रिम क्रेता नियुक्त कर तथा प्रथम श्रेणी के 40.960 किंवंटल तथा द्वितीय श्रेणी के 369.860 किंवंटल गोदामीकृत संग्रहित मात्रा का निर्वर्तन में कुल रु. 151.53 लाख में किया गया है। औसत विक्रय दर रु. 14075/- प्रति किंवंटल प्राप्त हुई है।

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2008-2009 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी के लिये संग्रहण दर रु. 15400/- प्रति किंवंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रु. 11000/- प्रति किंवंटल निर्धारित की गई है तथा प्रदेश की 5 इकाईयों को अग्रिम में निर्वर्तित किया गया है। वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के कुल्लू गोंद के संग्रहण एवं विक्रय का जिला यूनियनवार विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'छ' एवं 'ज' में संलग्न है।

(viii) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल)

वर्ष 2007-2008 सीजन में प्रदेश की गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल) की 15 इकाईयों में 51.00 किंवंटल धावड़ा गोंद एवं 255.00 किंवंटल खैर/बबूल गोंद संग्रहण किया गया। वर्ष 2007-2008 हेतु संग्रहण दर निम्नानुसार निर्धारित थी :-

- | | | | |
|----|----------|---|----------------------|
| 1. | खेर/बबूल | - | 1650/- प्रति किंवंतल |
| 2. | धावड़ा | - | 2750/- प्रति किंवंतल |

संग्रहित 51.00 किंवंतल धावड़ा गोंद एवं 255.00 किंवंतल खेर/बबूल गोंद का विक्रय रु. 5.90 लाख में किया जा चुका है।

संग्रहण वर्ष 2008-2009 में कुल 21 इकाईयों में से 6 इकाईयों का अग्रिम में निर्वर्तित किया जाकर गोंद वर्ग-2 संग्रहण का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों का विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'झ' एवं 'ञ' में संलग्न है।

(ix) वर्ष 2007 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 में कुल 17.18 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था। उक्त तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 70 प्रतिशत की राशि रूपये 106.70 करोड़ 687 लाभ वाली समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई। समितियों द्वारा राशि रूपये 103.30 करोड़ जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की गई। शेष प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण कार्य प्रगति पर है।

संग्रहण वर्ष 2007 में जिला यूनियनवार लाभ में रही समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण योग्य राशि एवं वितरित राशि का विवरण परिशिष्ट 'ट' में संलग्न हैं।

(x) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है। वर्ष 2008-09 में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 की रूपये 22.69 करोड़ की राशि जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश समय-समय पर जिला यूनियन को दिये गये हैं। वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2007 तक जिला यूनियनवार कुल उपलब्ध कराई गई राशि एवं प्राथमिक समितियों द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ठ' में संलग्न है।

(xi) वन एवं वनोपज विकास के कार्य

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध राशि के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जिसमें वन क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से लघु वनोपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु संरक्षण, संवर्द्धन एवं रोपण कार्य कराये जाते हैं। इस योजना के तहत वनमंडल के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक वनोपज समितियों के क्षेत्र में निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जा रहे हैं :-

1. वन विहीन राजस्व एवं वन विभाग की भूमियों पर स्थानीय मिश्रित प्रजातियों का रोपण।
2. विभिन्न समितियों के वन विहीन उपयुक्त क्षेत्रों में बांस रोपण।
3. विभिन्न समितियों के क्षेत्र में परम्परागत रूप से विद्यमान लघु वनोपज जैसे हैरा, आंवला, बहेड़ा, माहुल पत्ता, ईमली एवं अन्य प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का बिंगड़े वन क्षेत्र में रोपण।
4. बिंगड़े वन क्षेत्रों में सुधार एवं प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का रोपण।
5. बिंगड़े वन क्षेत्रों में तथा उससे लगे हुए रिक्त राजस्व वन क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य तथा स्थानीय वनोपज प्रजातियों के रोपण का कार्य।

तेन्दुपत्ता संग्रहण वर्ष 1998 से 2004 एवं सालबीज संग्रहण वर्ष 2007 की उक्तानुसार आय की रूपये 55.47 करोड़ की राशि से बन एवं वनोपज के विकास संबंधी कार्य कराये जाने हैं। इस हेतु जिला यूनियनों को रूपये 11.10 करोड़ की राशि उपलब्ध भी कराई जा चुकी है। जिला यूनियनवार इस हेतु उपलब्ध राशि एवं संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ड' में संलग्न है।

(xii) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटीकरण -

संघ मुख्यालय स्तर पर लेखा संधारण का कार्य “टैली साफ्टवेयर” के माध्यम से किया जा रहा है। लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई ही हैं, लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है। संघ के वित्तीय वर्ष 2007-08 के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक, लाभ-हानि पत्रक, बैलेंसशीट) तैयार किये जा चुके हैं। इस प्रकार वनोपज संघ का लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं।

जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के लेखाओं को पूर्ण करने में गति लाने हेतु लेखा प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, इस हेतु लेखा तैयार करने हेतु जिला यूनियनों को पृथक से कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं टैली एकाउन्टिंग साफ्टवेयर उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा प्रत्येक जिला यूनियन के लेखा संधारण करने वाले एक लिपिक एवं एक डाटा एन्ट्री आपरेटर को टैली प्रशिक्षण दिलाया गया है।

(xiii) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात् वर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ है। उक्त विभाजन में आस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(xiv) ई-मनी ट्रान्सफर -

वनोपज संघ के स्टेट बैंक ऑफ इंडौर एवं पंजाब नेशनल बैंक में संधारित खातों में वनोपज के क्रेताओं द्वारा किसी भी स्थान से ई-मनी ट्रान्सफर कराने की व्यवस्था विगत वर्ष में लागू की जाकर वित्तीय वर्ष 2008-09 में वनोपज संघ के भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया एवं यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में संधारित खातों में भी ई-मनी ट्रान्सफर करने की व्यवस्था लागू की गई। इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुये अब सभी जिला यूनियनों में कोर बैंकिंग के माध्यम से संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खाते में राशि सीधे जमा कराई जा रही है। इसी प्रकार जिला यूनियनों को विभिन्न कार्य के लिये उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक राशि जो पूर्व में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जाती थी तथा जिला यूनियनों में राशि पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, अब कोर बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय से जिला यूनियनों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है, जिससे जिला यूनियनों को राशि उसी दिन उपलब्ध हो जाती है। इस व्यवस्था से एक ओर समय पर राशि संबंधित खातों में जमा हो जाती है, वहीं जिला यूनियन स्तर पर संधारित कैश कलेक्शन के विभिन्न खातों में जमा राशि समय पर संघ मुख्यालय में न भेजी गई लंबित राशि से होने वाली ब्याज की हानि पर भी रोक लगी है।

(xv) सालबीज प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण -

शासन द्वारा लिये निर्णय अनुसार साल बीज संग्रहण वर्ष 2007 के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की राशि में से 70 प्रतिशत की राशि रूपये 19.39 करोड़ साल बीज संग्राहकों को वितरण करने हेतु जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी अनुसार रूपये 9.02 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। शेष साल बीज प्रोत्साहन पारिश्रमिक के वितरण का कार्य प्रगति पर है।

साल बीज संग्रहण वर्ष 2007 में विभिन्न जिला यूनियनों द्वारा प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण योग्य एवं वितरित राशि का विवरण परिशिष्ट 'ढ' में संलग्न है।

(xvi) चरणपादुका का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गतवर्ष की भौति ही प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार की एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरित करने का निर्णय लिया गया था। फलस्वरूप वर्ष 2008-09 में 12.82 लाख जोड़ी चरणपादुकाएँ रूपये 63.36 प्रति जोड़ी की दर से क्रय की गयी। उक्त चरणपादुकाओं में से 12.80 लाख जोड़ी चरणपादुकाएँ वितरित की जा चुकी हैं। शेष चरणपादुकाएँ शीघ्र ही वितरित की जायेगी। इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन से रूपये 8.00 करोड़ की राशि संघ को उपलब्ध करायी गयी थी।

वर्ष 2009-2010 में भी गतवर्ष की भौति प्रदेश के लगभग 13.00 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुकाएँ उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इस हेतु उक्त चरणपादुकायें क्रय करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएँ आमंत्रित की गई थी, जिसमें रूपये 52.98 प्रति जोड़ी की न्यूनतम दरें प्राप्त हुई, जिनके आधार पर निम्न 04 प्रदायकर्ताओं से उक्त दर पर चरणपादुकाओं को क्रय करने की अनुमति हेतु शासन को लेख किया गया है।

क्रमांक	प्रदायकर्ता का नाम
1.	मेसर्सैमसन्स पोलिमर्स प्रा.लि. साहिबाबाद गाजियाबाद
2.	मेसर्सै चरणपादुका इंडस्ट्रीज लि. बहादुरगढ़
3.	मेसर्सै एम.बी. रबर प्रा.लि. साहिबाबाद
4.	मेसर्सै डायमण्ड ट्रॉयस प्रा.लि. नई दिल्ली

उक्त चरणपादुकाओं के क्रय हेतु शासन द्वारा वनोपज संघ को रूपये 10.00 करोड़ की राशि पूर्व में ही उपलब्ध करायी जा चुकी है।

(xvii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का लेखा प्रशिक्षण ।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के शेष 104 प्रबंधकों को लेखा प्रशिक्षण कराने हेतु लेखा प्रशिक्षण, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर को निर्देश जारी किये गये। माध्यम से दिया जा चुका है, तथा 104 समिति प्रबंधक लेखा प्रशिक्षण हेतु शेष हैं। वर्तमान में प्राप्त जानकारी अनुसार 56 प्रबंधकों को लेखा प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(xviii) प्राथमिक वनोपज समितियाँ, जिला यूनियनों एवं राज्य लघु वनोपज संघ के निर्वाचन -

896 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों, 32 जिला यूनियनों एवं राज्य लघु वनोपज संघ का निर्वाचन दिनांक 12.09.2008 तक सम्पन्न करा लिया गया है।

(xviii) अकाष्ठीय वनोपज विकास

1. संसाधन संवर्धन -

छत्तीसगढ़ राज्य में अकाष्ठीय वनोपज से समृद्ध वन क्षेत्रों का संवर्धन करने हेतु “लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना” परियोजना के माध्यम से राज्य के जिला यूनियन धर्मजयगढ़, उदन्ती - 1, रायपुर, पूर्व रायपुर, पूर्व भानुप्रतापपुर में संघ मद से एवं रायगढ़, उदन्ती - 2, कोरबा, उत्तर कोणडागांव, जगदलपुर में राज्य शासन द्वारा आदिवासी उपयोजना मद से प्राप्त अनुदान की सहायता से 10,000 हेक्टेयर में कुल 10 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना वर्ष 2008-09 में की गयी है। इसके अतिरिक्त विगत चार वर्षों में स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के 39000 हेक्ट. क्षेत्रफल में रख-रखाव के कार्य भी किये जा रहे हैं। वर्ष 2008-09 के लिये संघ मद से ₹. 250.00 लाख एवं आदिवासी उपयोजना मद से ₹. 120 लाख की राशि परियोजना हेतु प्राप्त हुयी है। परियोजना अंतर्गत मूल्यवान अकाष्ठीय वनोपज प्रजातियों का स्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, औषधि निर्माण तथा स्थानीय लोगों व कर्मचारियों की क्षमता विकास आदि जैसे कार्य संपादित किये जा रहे हैं।

2. कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण एवं प्रसंस्करण

2.1 कच्चे लघु वनोपज संग्रहण

राज्य में कच्चे लघु वनोपज के संग्रहण करने हेतु 51 प्रजातियों का चयन कर ग्राम एवं हाट बाजार स्तर पर स्व-सहायता समूहों के माध्यम से क्रय करने हेतु दरें निर्धारित की गई हैं। स्व-सहायता समूह उपरोक्त दरों पर कच्ची लघु वनोपज क्रय करने के पश्चात नजदीकी NWFP मार्ट में विक्रय कर राशि प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त उन्हें परिवहन व्यय भी देय होता है। इस कार्य में संबंधित प्राथमिक वनोपज समिति प्रबंधक के सहयोग करने पर उन्हें संग्रहण दर का 0.5 प्रतिशत कमीशन देय होता है। इस प्रकार संग्रहित कच्चे लघु वनोपज को NWFP मार्ट स्तर पर ग्रेडिंग कर निश्चित दर पर विक्रय किया जा रहा है। इससे संग्राहकों को उचित मूल्य मिलने के साथ ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की लघु वनोपज उचित दर पर उपलब्ध हो रही है।

2.2 लाख विस्तार संबंधित गतिविधियाँ

वर्ष 2008-09 में लाख विकास योजना बजट मद में राशि ₹0 250.00 लाख का बजट प्रावधान किया जाकर कई परियोजनायें प्रारंभ की गयी। 161 ग्रामीण युवाओं को लाख पालन में प्रशिक्षित किया जाकर फिल्ड फेसिलिटेटर के रूप कार्य लिया जा रहा है। दो ब्रूड लाख फॉर्म की स्थापना की गयी है। जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, विलासपुर एवं सरगुजा में लाख फेसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जहाँ ग्रामीणों को अच्छी तकनीक से लाख खेती के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी तथा राज्य में लाख खेती के पालन संबंधित गतिविधियों को अपेक्षित गति देने में भी सहायता मिल सकेगी। खेरागढ़ जिला यूनियन के साल्वेवारा - 1 एवं साल्वेवारा - 2 में दो केन्द्रों पर 20-20 लाख रुपये की लागत से दो लाख पालन के मार्ईकोइंटरप्राइजेस प्रारंभ किये गये हैं। कांकेर में राज्य स्तरीय लाख विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र एवं रायपुर में राज्य स्तरीय लाख गुणवत्ता जॉच केंद्र की स्थापना हेतु क्रमशः राशि ₹. 10.00 लाख एवं राशि ₹. 5.00 लाख संबंधित जिला यूनियन को प्रदाय किया गया है। यूरोपियन कमीशन से प्राप्त राशि ₹. 20 लाख से एक लाख

प्रसंस्करण केन्द्र कांकेर में एवं राशि रु. 158.00 लाख की लागत से कुल आठ लाख पालन माइक्रोइंटरप्राइज कोरबा, कांकेर, कोरिया, दक्षिण सरगुजा, उत्तर सरगुजा, धर्मजयगढ़ -1 एवं धर्मजयगढ़-2 एवं विलासपुर में स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसके लिये जिला यूनियनों को प्रथम चरण के कार्यों के लिये रु. 70.00 लाख की राशि प्रदाय की गयी है। यूरोपियन कमीशन से प्राप्त रु. 10.56 लाख की राशि से, राज्य में संघ के विगत प्रयासों के कारण हुयी लाख आधारित विकास की सफलता एवं भविष्य में किये जा सकने वाले लाख विकास के संबंध में बाजार व क्षेत्र की स्थिति संबंधित अध्ययन व अभिलेखन का कार्य, भारतीय लाख एवं गोंद विकास संस्थान, रॉची के सहयोग से प्रारंभ किया गया है।

2.3 माहुल पत्ता प्रसंस्करण -

राज्य में बहुतायत में माहुल पत्ता का उत्पादन होता है। पूर्व में माहुल पत्ता को संग्रहण कर सीधे अन्य राज्यों में बिक्री किया जाता था। स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 20 माहुल पत्ता प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना की गयी है। इस वर्ष लगभग रूप 37.00 लाख मूल्य के दोना पत्तल निर्माण कराया जाकर बिक्री किया गया है।

2.4 शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण

राज्य के वन क्षेत्रों से उत्तम गुणवत्ता की शहद बहुतायत में प्राप्त होती है। शहद संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में संग्राहकों से सीधे शहद क्रय किया जाता है।

राज्य में शहद संग्रहण कर प्रसंस्करण करने हेतु विलासपुर एवं जशपुर नगर में क्रमशः 1000 क्विंटल तथा 500 क्विंटल क्षमता वाले 2 प्रसंस्करण केन्द्र पूर्व से संचालित हैं। विगत वर्ष में जिला यूनियन कवर्धा तथा पूर्व भानुप्रतापपुर (परियोजना लागत रु. 25.00 लाख) में दो शहद प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसकी स्वीकृति क्रमशः समविकास योजना तथा बस्तर विकास प्राधिकरण द्वारा हुआ है। शहद का उत्पादन एवं गुणवत्ता बढ़ाने हेतु लगभग 1500 संग्राहकों को प्रशिक्षित कर इन्हें डंकप्रूफ ड्रेस एवं अन्य उपकरण प्रदाय किये गये हैं।

2.5 इमली प्रसंस्करण

बस्तर क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की इमली बहुत अधिक मात्रा में पायी जाती है। वर्ष 2008.09 में संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से नारायणपुर, सुकमा, दक्षिण कोणडागांव, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा जिला यूनियनों में कुल 29197 क्विंटल आठी इमली क्रय की गई, जिस पर कुल व्यय रु. 249.09 लाख है। इस वर्ष एक निजी कम्पनी द्वारा छत्तीसगढ़ की प्रसंस्कृत इमली क्रय कर खाड़ी के देशों को निर्यात किया गया है। भारत शासन की संस्था ट्रायफेड, नई दिल्ली के माध्यम से फूल इमली पैकेट का विक्रय दिल्ली में किया जा रहा है। वर्ष 2009 सीजन में अधिक से अधिक इमली संग्रहण तथा प्रसंस्करण कराने हेतु 50,000 क्विं. इमली संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में इमली क्रय एवं प्रसंस्करण का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

इमली संग्रहण एवं प्रसंस्करण वर्ष 2008-09

(मात्रा क्विं. में मूल्य रु. लाख में)

क्र	जिला यूनियन	इमली आठी मात्रा	इमली फूल मात्रा	इमली ब्रिक्स मात्रा
1	दंतेवाड़ा	13741.76	-	-
2	बीजापुर	5597.79	-	-
3	सुकमा	9857.54	-	-

4	दक्षिण कोण्डागांव	703.00	537.00	27.00
5	नारायणपुर	832.20	169.34	-
6	जगदलपुर	-	19.30	15.37
7	उत्तर कोण्डागांव	725.72	89.01	-
	योग	31458.00	814.65	42.37

- दतेवाड़ा जिले में संग्रहित इमली दतेवाड़ा में स्थापित शीतगृह में भंडारित किया गया है।

2.6 वनौषधि निर्माण

वर्तमान में कटघोरा, उत्तर सरगुजा, पूर्व सरगुजा, दक्षिण सरगुजा, जशपुर नगर, मनेन्द्रगढ़, धरमजयगढ़, मरवाही, बिलासपुर, उदन्ती, महासमुन्द, जगदलपुर, सुकमा, धमतरी जिला यूनियनों में स्थापित औषधि निर्माण केन्द्रों में तैयार किये जा रहे विभिन्न हर्बल उत्पादों को स्थानीय संजीवनी केन्द्र तथा NWFP मार्ट के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। वर्तमान में उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से लगभग 40 हर्बल उत्पाद तैयार होकर विक्रय किया जा रहे हैं। वर्तमान में इन उत्पादों की उत्पादन से अधिक मांग है। इनके पैकेजिंग आदि में आवश्यक सुधार करने हेतु कार्यवाही जारी है।

2.7 रतनजोत एवं करंज बीज का क्रय

शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर रु. 6.50 प्रति कि.ग्रा. की दर पर जट्रोफा एवं रु. 6.00 प्रति कि.ग्रा. की दर पर करंज बीज के क्रय का कार्य प्राथमिक वनोपज समिति मुख्यालय पर पूर्ण राज्य में किया जा रहा है, परन्तु बाजार भाव अधिक होने के कारण समर्थन मूल्य पर बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

3. विपणन

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विपणन हेतु सुनिश्चित व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्टों की स्थापना की गई है। प्रत्येक मार्ट में एक-एक थोक विक्रय केन्द्र, रिटेल विक्रय केन्द्र-संजीवनी तथा प्रसंस्करण सह पैकेजिंग केन्द्र स्थापना की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित वृत्त में स्थानीय संग्राहक/स्व-सहायता समूह /वन समिति/प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है। इसके पश्चात उपरोक्त उत्पाद की रिटेल या थोक बिक्री संजीवनी/विज्ञापन/सेल्स एक्सीक्यूटिव के माध्यम से की जा रही है।

प्रत्येक NWFP मार्ट संचालन हेतु एक सीनियर एक्सीक्यूटिव मार्केटिंग तथा एक जूनियर एक्सीक्यूटिव मार्केटिंग की नियुक्ति की गई है। उपरोक्त NWFP मार्ट संचालन हेतु रु. 95.00 लाख कार्य पूंजी प्रदाय किए गए हैं तथा अधोसंरचना हेतु रु. 77.68 लाख प्रदाय किए गये हैं। इन मार्ट द्वारा वर्ष 2008-09 में दिसंबर - 2008 तक प्राप्त प्रगति नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

कं.	घटक	क्रय मूल्य रु. (लाख में)	विक्रय मूल्य (रु. लाख में)
01	कच्चे लघु वनोपज	22.39	32.00
02	हर्बल उत्पाद	66.56	49.17
	योग	88.95	81.17

- हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न जिला यूनियनों की प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों की एकरूपता के साथ पैकेजिंग, लेबलिंग एवं डिजाइनिंग का कार्य किया गया है।
- राज्य में रिटेल विक्रय बढ़ाने हेतु नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार विभिन्न स्थानों में कुल 42 संजीवनी स्थापित किए गए हैं।

संजीवनी केन्द्र स्थापना प्रगति

क्र	वृत्त का नाम	स्तर			
		मार्ट स्तर पर	परिषेत्र/विकासखंड स्तर पर	जिला यूनियन स्तर पर	कुल
1	रायपुर	1	5	1	7
2	बिलासपुर	1	5	6	12
3	दुर्ग	1	4	1	6
4	कांकेर	1	1	3	5
5	सरगुजा	1	2	5	8
6	जगदलपुर	1	0	3	4
योग		6	17	19	42

4. यूरोपियन कमीशन परियोजना -

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से वित्तीय वर्ष 2006-07 से एक तीन वर्षीय परियोजना स्वीकृत की गई है। इसकी कुल लागत रु. 21.20 करोड़ है। अभी तक कुल रु. 9.01 करोड़ प्राप्त हुआ है। इस परियोजना के अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि है। परियोजना की घटकवार प्रगति निम्नानुसार है।

4.1 संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

4.1.1 संसाधन सर्वेक्षण - इस घटक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र में संसाधन सर्वेक्षण का कार्य किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पायी जानी वाली मुख्य लघु वनोपज तथा उनके उत्पादन का आंकलन किया जा रहा है। पूर्ण वन क्षेत्र में सेम्पल प्लाट डालकर जानकारी एकत्रित की गई है। संघ के कर्मचारियों को संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बेरियम तैयार करने हेतु बाटनिकल सर्वे आफ इंडिया, इलाहाबाद में प्रशिक्षण कराया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु साफ्टवेयर भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा तैयार किया जा रहा है।

4.1.2 हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा - इस घटक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के परंपरागत औषधि ज्ञान का सर्वेक्षण कर, उन्नत वनौषधि/हर्बल उत्पाद, वनौषधालयों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जावेंगे। इससे परंपरागत औषधि ज्ञान को उचित पहचान दिलाने के साथ साथ अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस हेतु राज्य स्तर पर राज्य के आयुर्वेद तथा फार्मेसी विशेषज्ञों की

सहभागिता में बैठक आयोजन किया जाकर भविष्य रणनीति का रूप-रेखा तैयार की गई। इसके तहत राज्य के 20 मुख्य स्थानों पर इथनोबॉटनिकल सर्वे तथा वनौषधालय स्थापना हेतु सर्वेक्षण दल द्वारा कार्यवाही जारी है। इसके अंतर्गत कुल 10 स्थानों पर सर्वेक्षण कर 10 स्थानों का चयन वनौषधालय स्थापना हेतु किया जा चुका है।

4.2 लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य

इस घटक के अंतर्गत लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये जा रहे हैं। प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस में आवश्यकतानुसार लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति/वन समिति/स्व सहायता समूहों के माध्यम से अतिरिक्त आय के सृजन हेतु क्रियान्वित किये जा रहे हैं। तदानुसार इस घटक के अंतर्गत माइक्रोइन्टरप्राइजेस को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्न है।

4.2.1 लघु वनोपज उत्पादन -

उन्नत तकनीक द्वारा लाख उत्पादन को बढ़ावा देना तथा विनाशविहीन विदोहन द्वारा शहद उत्पादन कर प्रसंस्करण करना।

4.2.2 लघु वनोपज संग्रहण -

विनाश विहीन विदोहन प्रक्रिया से उत्तम गुणवत्ता वाली वनौषधियों/लघु वनोपज का संग्रहण करना।

4.2.3 लघु वनोपज प्रसंस्करण -

कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण कर उन्नत तकनीक द्वारा प्रसंस्करण करना, जिसमें माहुल पत्ते से दोना एवं पत्तल तैयार करना, आटी इमली से फूल इमली तैयार करना, महुआ, कुसुम, करंज बीज से तेल उत्पादन करना तथा लाख प्रसंस्करण कार्य सम्मिलित है।

4.2.4 लघु वनोपज विपणन -

माइक्रो इन्टरप्राइज द्वारा संग्रहित लघु वन उपज व निर्मित हर्बल उत्पाद का संजीवनी तथा NWFP मार्ट के माध्यम से विक्रय किया जा है।

माइक्रोइन्टरप्राइजेसवार विवरण

कं	घटक	कार्य का नाम	स्वीकृत किये गये जिला यूनियन का नाम	राशि (रु. लाख में)		
				स्वीकृत संख्या	स्वीकृत कार्य	
					स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	उत्पादन माइक्रो इन्टरप्राइज	लाख पालन	कटघोरा, पूर्व भानुप्रतापपुर, धरमजयगढ़, कोरबा, द. सरगुजा, कोरिया, उ. सरगुजा, कांकेर एवं बिलासपुर	11	220.00	110.00
		शहद संग्रहण	राजनांदगांव, धरमजयगढ़	2	18.00	10.00

2	संग्रहण माईको इन्टरप्राइज	कच्चे लघु वनोपज संग्रहण	कटघोरा, दक्षिण सरगुजा, जगदलपुर, धरमजयगढ़, कोरिया, जगदलपुर, रायगढ़, सुकमा	9	54.00	54.00
3	प्रसंस्करण माईको इन्टरप्राइज	माहुल पत्ता प्रसंस्करण	धरमजयगढ़ कोरिया, कटघोरा, मननेद्रगढ़, उ. सरगुजा, द. सरगुजा, जशपुर, धमतरी, कोरबा	9	180.00	124.00
		इमली प्रसंस्करण	दंतेवाड़ा, द. कोणडागांव, जगदलपुर, नारायणपुर	4	60.00	60.00
		महुआ/तेलीय बीज प्रसंस्करण	जगदलपुर, कोरबा	2	40.00	25.00
		लाख प्रसंस्करण	कांकेर	1	20.00	20.00
		हर्बल उत्पाद निर्माण	कटघोरा, जशपुर	2	25.00	20.00
		आंवला प्रसंसकरण	धमतरी, उदंती	2	15.00	15.00
		चिरौंजी प्रसंस्करण	कोरबा	1	20.00	10.00
4	विपणन माईको इन्टरप्राइज	संजीवनी केन्द्र स्थापना	रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर वि.ख. स्तर पर संजीवनी केन्द्र स्थापना	30	30.00	30.00
		अस्थाई भंडारण केन्द्र संचालन	पूर्ण राज्य	100	50.00	50.00
	योग			173	732.00	528.00

4.3 लघु वनोपज/वन उत्पाद विपणन हेतु मेलों में भाग

छत्तीगढ़ हर्बल ब्राण्ड प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तरीय मेलों में भाग लिया गया, जिससे उपरोक्त हर्बल उत्पादों को विशेष पहचान मिली है। इस वर्ष संघ ने निम्नानुसार मेलों में भाग लिया।

क्रमांक	मेला का नाम	स्थान	विकित उत्पाद मूल्य (रु. लाख में)
1	आई.आई.टी.एफ.-2008 (इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर)	नई दिल्ली	0.90
2	इंडिया आर्गेनिक	रायपुर	0.17
3	वन मेला, 2008	भोपाल	0.40
4	प्रवासी भारती, चेन्नई	चेन्नई	0.67
5	स्वदेशी मेला, 2008	रायपुर	0.14
	योग		2.28

4.4 अनुसंधान एवं विस्तार

अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास कार्य संपादित करने हेतु उत्तम संग्रहण विधि, प्रसंस्करण विधि एवं नये उत्पाद विकसित करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर से इमली कैण्डी, पल्प तथा आंवला केण्डी, पल्प तथा स्प्रेड तैयार करने हेतु संघ के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना शीघ्र की जावेगी। पलाश फूल से खाद्य रंग बनाने की तकनीकी विकास हेतु सी.एफ.टी.आर.आई. मैसूर की परियोजना संघ द्वारा स्वीकृत की गई है।

4.5 सूचना प्रबंधन प्रणाली

इस घटक के अंतर्गत संघ मुख्यालय को विभिन्न जिला यूनियनों के साथ कम्प्यूटर, इंटरनेट तथा टैली साप्टवेयर के माध्यम से जोड़कर व्यापार प्रगति तथा लेखा संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु तैयारी लगभग पूर्ण हो चूकी है। इससे जानकारी संकलन एवं विश्लेषण तथा लेखा तैयार करने में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो जावेगा।

इसके तहत 6 NWFP मार्ट तथा बिलासपुर एवं जशपुर शहद प्रसंस्करण केन्द्र को कम्प्यूटर, इंटरनेट व टैली साप्टवेयर की सुविधा दी गई है। इससे उत्पादन तथा क्षय-विक्रय संबंधी जानकारी का संकलन आसानी से हो सकेगा।

उपरोक्त समस्त घटकों में वर्ष 2008-09 में घटकवार जारी राशि एवं व्यय राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

घटक क्रमांक	मद का नाम	योग (रु. लाख में)	
		जारी राशि	व्यय राशि
1	2	3	4
	अकाष्ठीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य (यूरोपियन कमीशन सहायता से)		
1	संसाधन सर्वेक्षण	62.86	45.93
2	लघु वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य (माईक्रो इन्टरप्राइजेस)	609.00	492.00
3	विपणन	92.49	31.70
4	अनुसंधान एवं विस्तार	8.47	8.47
5	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस)	61.34	61.34
6	क्षमता विकास	14.78	14.78
7	प्रमाणीकरण	0.29	0.29
	योग	849.23	654.51

आगामी वर्षों में इस परियोजना में उपरोक्त परियोजना से विशेष उपलब्धी प्राप्त होने की संभावना है।

5. प्रमाणीकरण

इस घटक के अंतर्गत संग्रहित तथा प्रसंस्कृत लघु वनोपज की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु सीजीसर्ट (छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण सोसाइटी), रायपुर के माध्यम से प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है। सीजीसर्ट को भारत शासन के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मान्यता की कार्यवाही प्रगति पर है।

6. यू.एन.डी.पी. - वन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन द्वारा स्वीकृत जैव विविधता परियोजना

राज्य के कटघोरा जिला यूनियन में 3063.224 हेक्टेयर, जगदलपुर जिला यूनियन में 3094.165 हेक्टेयर एवं उत्तर कोडॉगांव जिला यूनियन में 3207.264 हेक्टेयर के मान से कुल 9364.653 हेक्टेयर जैव विविधता से समृद्ध चयनित क्षेत्र में स्थानीय समुदायों की सहभागिता से जैव विविधता संवर्धन तथा उस पर आधारित रोजगार सृजन करने हेतु रु. 250 लाख की लागत से तीन वर्षीय परियोजना यू.एन.डी.पी. तथा एम.ओ.ई.एफ. द्वारा स्वीकृत हुआ है। चयनित वन क्षेत्रों के साथ उनके आसपास 5 किलोमीटर में आने वाले ग्रामों की सीमा के भीतर के राजस्व क्षेत्रों में जन सहयोग से प्रमुख वानिकी एवं गैर वानिकी जैव विविधताता का संरक्षण करते हुये उनके सतत् एवं संपोषणीय विदोहन के आधार पर ग्रामीणों को जैव विविधताएवं प्राकृतिक संसाधन आधारित रोजगार देने वाली गतिविधियों (जिसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी संभव हो सके) के विकास संबंधित परियोजना प्रारंभ की गयी। वर्ष 2008-09 में परियोजना के प्रथम वर्ष में संसाधन सर्वेक्षण, इन सिटू कन्जरवेजन, क्षमता विकास हेतु कार्यशाला आयोजन आदि जैसे कार्य किये गये हैं। इसके तहत वर्ष 2008-09 में राशि रु. 18.03 लाख प्रत्येक जिला यूनियन के मान से, कुल राशि रु. 54.09 लाख तीनों जिला यूनियनों को प्रदाय की गयी। जिसके विरुद्ध जनवरी 2009 की स्थिति में कुल रु. 9.43 लाख की राशि व्यय की गयी है।

परिशिष्ट - 'क'

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

अ. क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	महाप्रबंधक (वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
4	उप वन संरक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रबंधक लेखा (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	2	0	6	5	1	31	22	9	39	29	10
9	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	140	78	62	140	78	62
11	प्रणाली विश्लेषक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	आयुर्वेद चिकित्सक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
13	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	डाटा एन्ट्री आपरेटर (नियमित)	2	2	0	6	6	0	0	0	0	8	8	0
16	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	5	3	2	0	0	0	32	28	4	37	31	6
17	स्टॉफ अफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
17	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
18	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19	शीघ्रलेखक (नियमित वेतनमान)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
20	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
21	अधीक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
22	लेखा अधीक्षक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
23	वरिष्ठ लेखापाल	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
24	लेखापाल	4	4	0	6	5	1	22	23	-1	32	32	0
25	कनिष्ठ लेखापाल	6	6	0	0	0	0	25	10	15	31	16	15
26	सहायक वर्ग-3	9	8	1	6	5	1	33	33	0	48	46	2
27	स्वागतकर्ता सहायक वर्ग-3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
28	वाहन चालक	6	4	2	0	2	-2	6	4	2	12	10	2
29	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
30	संदेशवाहक	12	4	8	12	10	2	49	46	3	73	60	13
31	चौकीदार	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग :-	78	59	19	36	33	3	338	244	94	452	336	116

परिशिष्ट - 'ख'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण)

संग्रहण वर्ष : 2008

जिला यूनियन का नाम	विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	28	42822.733	63185996.74	1475.52
सुकमा	41	69917.393	68227201.10	975.83
दतेवाड़ा	13	20653.187	22285305.71	1079.03
जगदलपुर	15	23376.885	25631863.80	1096.46
दक्षिण कोंडागांव	11	19793.179	21210260.26	1071.59
उत्तर कोंडागांव	16	23945.548	30283541.57	1264.68
नारायणपुर	12	18510.205	19485827.16	1052.71
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	85654.915	147412112.83	1721.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	64064.320	84403512.20	1317.48
कांकेर	24	31541.125	52675479.00	1670.06
राजनांदगांव	51	70742.065	103760946.19	1466.75
खेरागढ़	24	35462.320	43448612.34	1225.21
दुर्ग	18	23760.505	37169409.40	1564.34
कवर्धा	24	33547.084	42387162.07	1263.51
धमतरी	23	25875.700	44801808.63	1731.42
उदन्ती	19	16890.950	30522108.29	1807.01
पूर्व रायपुर	43	51842.730	106071714.36	2046.03
महासमुंद	69	79401.810	123821870.60	1559.43
रायपुर	16	22766.247	36125517.46	1586.80
बिलासपुर	7	8619.690	11371407.32	1319.24
मरवाही	28	31452.560	48047161.30	1527.61
जांजरी-चांपा	7	8491.065	7839613.43	923.28
रायगढ़	41	54699.630	78793665.60	1440.48
धरमजयगढ़	53	75504.450	129042597.14	1709.07
कोरबा	34	44824.935	81723938.99	1823.18
कटघोरा	39	71085.405	123319154.64	1734.80
जशपुर नगर	20	34017.850	39150264.40	1150.87
मनेन्द्रगढ़	20	31055.605	42925734.22	1382.22
कोरिया	16	27033.135	39316461.36	1454.38
दक्षिण सरगुजा	28	58285.668	75118274.03	1288.79
पूर्व सरगुजा	29	62564.652	68077952.45	1088.12
उत्तर सरगुजा	52	110000.434	128542281.01	1168.56
कुल योग	931	1378203.980	1976178755.60	1433.88

परिशिष्ट - 'ग'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाठों का विवरण (अनुमानित मात्रा)

संग्रहण वर्ष : 2009

जिला यूनियन का नाम	कुल लाट		विक्रित लाठों का विवरण			
	लाठों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	लाठों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	28	51000.000	28	51000.000	103316400.00	2025.81
सुकमा	41	84300.000	41	84300.000	133210600.00	1580.20
दंतेवाड़ा	13	25800.000	13	25800.000	41246300.00	1598.69
जगदलपुर	15	23500.000	15	23500.000	33776700.00	1437.31
दक्षिण कोडागांव	11	20900.000	11	20900.000	31346500.00	1499.83
उत्तर कोडागांव	16	29700.000	16	29700.000	46312800.00	1559.35
नारायणपुर	12	21400.000	12	21400.000	31200300.00	1457.96
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	105900.000	55	105900.000	221862500.00	2095.02
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	99700.000	55	99700.000	151777600.00	1522.34
कांकेर	24	49700.000	24	49700.000	98222600.00	1976.31
राजनांदगांव	51	101600.000	51	101600.000	178487600.00	1756.77
खैरगढ़	24	53100.000	24	53100.000	79277800.00	1492.99
दुर्ग	18	33800.000	18	33800.000	60587800.00	1792.54
कवर्धा	24	47930.000	24	47930.000	74514355.00	1554.65
धमतरी	23	35800.000	23	35800.000	69459200.00	1940.20
उदन्ती	19	27900.000	19	27900.000	55526800.00	1990.21
पूर्व रायपुर	43	73300.000	43	73300.000	162924200.00	2222.70
महासमुद	69	113300.000	69	113300.000	202861000.00	1790.48
रायपुर	16	30400.000	16	30400.000	55051800.00	1810.91
बिलासपुर	7	12800.000	7	12800.000	46735700.00	3651.23
मरवाही	28	49400.000	28	49400.000	61319500.00	1241.29
जांजगीर-चांपा	7	11500.000	7	11500.000	12800300.00	1113.07
रायगढ़	41	75500.000	41	75500.000	129176200.00	1710.94
धरमजयगढ़	53	90300.000	53	90300.000	182779100.00	2024.13
कोरबा	34	58900.000	34	58900.000	123130000.00	2090.49
कटधोरा	39	82000.000	39	82000.000	166210300.00	2026.95
जशपुर नगर	20	38700.000	20	38700.000	55378700.00	1430.97
मनेन्द्रगढ़	20	40200.000	20	40200.000	69567400.00	1730.53
कोरिया	16	31300.000	16	31300.000	54918700.00	1754.59
दक्षिण सरगुजा	28	67900.000	28	67900.000	103267100.00	1520.87
पूर्व सरगुजा	29	70300.000	29	70300.000	89533700.00	1273.59
उत्तर सरगुजा	52	135200.000	52	135200.000	188478800.00	1394.07
कुल योग	931	1793030.000	931	1793030.000	3114258355.00	1736.87

परिशिष्ट - 'ध'

सालबीज संग्रहण वर्ष 2008 का विक्रय (अग्रिम)

वित्ता चूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (विवरत में)	संग्रहित मात्रा (विवरत में)	विक्रय दर	क्रेता का नाम	निविदा दिनांक	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय
कोटिया	1	कोटिया	1500.000	718.460	1402.00	मेसर्स एस्प्रोटिक फैट्स एक्सिम	16/05/2008	1007280.92	727081.52
मनेन्डगढ़	2	मनेन्डगढ़	5000.000	0.000	1426.00	मेसर्स पलक एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड	16/05/2008	0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	3	उत्तर सरगुजा	10000.000	464.840	1459.00	मेसर्स पलक एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड	16/05/2008	678201.56	470418.08
पूर्व सरगुजा	4	पूर्व सरगुजा	45000.000	781.690	1459.00	मेसर्स पलक एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड	16/05/2008	1140485.71	791070.28
दीविण सरगुजा	5	दीविण सरगुजा	70000.000	2997.520	1659.00	मेसर्स के.एन.रिसेसेंस प्राइवेट लिमिटेड	09/05/2008	4972885.68	3033490.24
जशपुरनगर	6	अपरदाट	46000.000	42.350	0.00			0.00	42858.20
जशपुरनगर	7	लोअरधाट	49000.000	806.290	1359.00	मेसर्स प्रोट्रेसिव एक्सिम लिमिटेड	16/05/2008	1095748.11	815965.48
कोरवा	8	कोरवा	3000.000	1583.570	1676.00	मेसर्स के.एन.रिसेसेंस प्राइवेट लिमिटेड	09/05/2008	2654063.32	1602572.84
गयगढ़	9	गयगढ़	3000.000	1302.180	1475.00	मेसर्स के.एन.रिसेसेंस प्राइवेट लिमिटेड	16/05/2008	1920715.50	1317806.16
घर्जन्यगढ़	10	घर्जन्यगढ़	35000.000	1750.370	1501.00	मेसर्स के.एन.रिसेसेंस प्राइवेट लिमिटेड	16/05/2008	2627305.37	1771374.44
कटपोरा	11	कटपोरा	3000.000	139.120	1501.00	मेसर्स के.एन.रिसेसेंस प्राइवेट लिमिटेड	16/05/2008	208819.12	140789.44
विलासपुर	12	विलासपुर	500.000	0.000	0.00			0.00	0.00
मरवाही	13	मरवाही	3000.000	556.980	1676.00	मेसर्स के.एन.रिसेसेंस प्राइवेट लिमिटेड	09/05/2008	933498.48	563663.76
कोकेर	14	कोकेर	5000.000	848.750	1676.00	मेसर्स के.एन.रिसेसेंस प्राइवेट लिमिटेड	09/05/2008	1422505.00	858935.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	15	भानुप्रतापपुर	8000.000	1348.200	1676.00	मेसर्स के.एन.रिसेसेंस प्राइवेट लिमिटेड	09/05/2008	2259583.20	1364378.40
पूर्व भानुप्रतापपुर	16	भानुप्रतापपुर	15000.000	1036.940	1442.00	मेसर्स दि. बस्तर आवल मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	16/05/2008	1495267.48	1049383.28
पर्शिचम भानुप्रतापपुर	17	कोयलीवड़ा	2000.000	112.340	0.00			0.00	113688.08
उत्तर कोण्डागांव	18	बड़े राजपुर	20000.000	5526.960	1352.00	मेसर्स हेमकुण्ड फैट्स प्राइवेट लिमिटेड	02/05/2008	7472449.92	5593283.52
उत्तर कोण्डागांव	19	केशकाल	20000.000	6296.570	1352.00	मेसर्स हेमकुण्ड फैट्स प्राइवेट लिमिटेड	02/05/2008	8512962.64	6372128.84
उत्तर कोण्डागांव	20	फरसगढ़	10000.000	8675.950	1460.00	मेसर्स दि. बस्तर आवल मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	16/05/2008	12666887.00	8780061.40
उत्तर कोण्डागांव	21	बड़े डेंगर	10000.000	5682.430	1302.00	मेसर्स प्रोट्रेसिव एक्सिम लिमिटेड	02/05/2008	7398523.86	5750619.16
दीविण कोण्डागांव	22	माकड़ी	20000.000	4331.620	1352.00	मेसर्स दि. बस्तर आवल मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	02/05/2008	5856350.24	4383599.44
दीविण कोण्डागांव	23	कोण्डागांव	20000.000	10239.770	1352.00	मेसर्स दि. बस्तर आवल मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	02/05/2008	13844169.04	10362647.24
दीविण कोण्डागांव	24	मुलमुला	20000.000	7666.630	1352.00	मेसर्स हेमकुण्ड फैट्स प्राइवेट लिमिटेड	02/05/2008	10365283.76	7758629.56
दीविण कोण्डागांव	25	मर्दियाल	10000.000	3359.620	1325.00	मेसर्स हेमकुण्ड फैट्स प्राइवेट लिमिटेड	02/05/2008	4451496.50	3399935.44
नारायणपुर	26	नारायणपुर	10000.000	5209.230	1676.00	मेसर्स के.एन.रिसेसेंस प्राइवेट लिमिटेड	09/05/2008	8730669.48	5271740.76
दीतेवाडा	27	दीतेवाडा	1500.000	160.770	0.00			0.00	162699.24
जगदलपुर	28	बकावेंद	18000.000	4349.660	1352.00	मेसर्स दि. बस्तर आवल मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	02/05/2008	5880740.32	4401855.92
जगदलपुर	29	कामवेंद	10000.000	849.470	1352.00	मेसर्स दि. बस्तर आवल मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	02/05/2008	1148483.44	859663.64
जगदलपुर	30	जगदलपुर	14000.000	5012.150	1352.00	मेसर्स दि. बस्तर आवल मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	02/05/2008	6776426.80	5072295.80
जगदलपुर	31	भानपुरी	17000.000	5360.000	1352.00	मेसर्स दि. बस्तर आवल मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	02/05/2008	7246720.00	5424320.00
सुकमा	32	सुकमा	3000.000	65.000	1307.00	मेसर्स दि. बस्तर आवल मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	02/05/2008	84955.00	65780.00
पूर्व रायपुर	33	पूर्व रायपुर	8000.000	941.120	1323.00	मेसर्स प्रोट्रिक्सन प्राइवेट लिमि.	02/05/2008	1245101.76	952413.44
उदनी	34	उदनी	5000.000	173.250	1317.00	मेसर्स प्रोट्रिक्सन प्राइवेट लिमि.	02/05/2008	228170.25	175329.00
महासमुन्द	35	महासमुन्द	200.000	0.000	0.00			0.00	0.00
गयपुर	36	गयपुर	300.000	0.000	0.00			0.00	0.00
घमती	37	घमती	9000.000	1252.150	1302.00	मेसर्स प्रोट्रेसिव एक्सिम लिमिटेड	02/05/2008	1630299.30	1267175.80
कवर्धा	38	कवर्धा	1000.000	234.410	1676.00	मेसर्स के.एन.रिसेसेंस प्राइवेट लिमिटेड	09/05/2008	392871.16	237222.92
			531000.000	89876.360				126348919.92	90954876.32

कुल विक्रित मात्रा	89560.90	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	126348919.92
कुल अधिकृत मात्रा	315.46	विक्रय मूल्य प्रति विवरत	1410.76
		कुल व्यय 1012/- प्रति विवरत	90954876.32
		शुद्ध लागत	35394043.60
		शुद्ध लागत प्रति विवरत	395.20
		संग्रहण मजदूरी रुपये 1000/- प्रति विवरत	89876360.00

हरा संग्रहण वर्ष 2007-2008 का विक्रय

Date : 09.08.2015

जिला पूँजीयन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (विवरत में)	संग्रहित मात्रा				विक्रय दर		क्रेता का नाम	संशोधित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संशोधित मात्रा के आधार पर वर्तमान मूल्य
				हरा (विवरत में)	कारिया (विवरत में)	बालठरा (विवरत में)	कुल हरा (विवरत में)					
कोकेर	1	कोकेर	4000.000	3781.000	0.000	0.000	3781.000	377	आश्रित	मेससं ग्रामान्धिकान सचिवनारायण राठी	1425437.00	1065863.90
कोकेर	2	नरहरपुर	4000.000	4815.500	728.000	0.000	6635.500	367	आश्रित	मेससं अशोक ट्रेडिंग कंपनी	2435228.50	1870547.45
कोकेर	3	संरोना	1000.000	1200.000	0.000	0.000	1200.000	367	आश्रित	मेससं अशोक ट्रेडिंग कंपनी	440400.00	338280.00
कोकेर	4	कोरर	3000.000	3000.000	0.000	0.000	3000.000	367	आश्रित	मेससं अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1101000.00	845700.00
कोकेर	5	चरामा	2500.000	3264.500	105.000	0.000	3527.000	351	आश्रित	मेससं अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1237977.00	994261.30
उत्तर कोण्डागांव	6	फरसांव	1500.000	208.000	0.000	0.000	208.000	281	आश्रित	मेससं प्रवीणचन्द्र आतिलत एण्ड कंपनी	58448.00	58635.20
उत्तर कोण्डागांव	7	केलकोल	3000.000	3600.000	0.000	0.000	3600.000	334	आश्रित	मेससं प्रकाश चंद खातवानी	1202400.00	1014840.00
दविण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	3700.000	250.000	0.000	0.000	250.000	357	आश्रित	मेससं अशोक ट्रेडिंग कंपनी	89250.00	70475.00
दविण कोण्डागांव	9	परिचम कोण्डागांव	800.000	266.150	0.000	0.000	266.150	321	आश्रित	मेससं अशोक ट्रेडिंग कंपनी	85434.15	75027.69
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	2000.000	2170.500	0.000	0.000	2170.500	301	आश्रित	मेससं देवी इन्टरप्राइजेस	653320.50	611863.95
नारायणपुर	11	दविण नारायणपुर	2500.000	2738.000	0.000	0.000	2738.000	301	आश्रित	मेससं देवी इन्टरप्राइजेस	824138.00	771842.20
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	3000.000	5311.600	0.000	0.000	5311.600	320	आश्रित	मेससं तुलसीदास भगवनदास	1699712.00	1497340.04
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतामङ्क	2000.000	2585.750	0.000	0.000	2585.750	301	आश्रित	मेससं तुलसीदास भगवनदास	778310.75	728922.93
परिचम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	1000.000	0.000	0.000	0.000	0				0.00	0.00
परिचम भानुप्रतापपुर	15	परिचम कापसी	1000.000	349.800	0.000	0.000	349.800	481	गोदामीकृत	मेससं अशोक ट्रेडिंग कंपनी	168253.80	117183.00
जगदलपुर	16	बदलर	2500.000	537.320	0.000	0.000	537.320	281	आश्रित	मेससं प्रवीणचन्द्र आतिलत एण्ड कंपनी	150986.92	151470.51
सुकमा	17	सुकमा	200.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0			0.00	0.00
देतवाडा	18	देतवाडा	300.000	0.000	0.000	0.000	0				0.00	0.00
बीजापुर	19	बीजापुर	100.000	0.000	0.000	0.000	0				0.00	0.00
रायपुर	20	रायपुर	100.000	0.000	0.000	0.000	0				0.00	0.00
मलासमुद्र	21	मलासमुद्र	1000.000	427.700	0.000	0.000	427.700	351	आश्रित	मेससं इरकी विनेज कुमार	150122.70	120568.63
घमतरी	22	घमतरी	3750.000	1727.300	306.600	0.000	2493.800	321	आश्रित	मेससं तुलसीदास भगवनदास	800509.80	703002.22
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	800.000	120.000	3.600	0.000	129.000	461	गोदामीकृत	मेससं अशोक ट्रेडिंग कंपनी	59469.00	43215.00
उदन्ती	24	उदन्ती	1000.000	0.000	0.000	0.000	0	307	आश्रित	मेससं अशोक ट्रेडिंग कंपनी	0.00	0.00
दुर्ग	25	दुर्ग	500.000	1084.100	282.000	0.000	1789.100	311	आश्रित	मेससं देवी इन्टरप्राइजेस	556410.10	504347.29
कवर्या	26	कवर्या	100.000	74.750	3.450	0.000	83.375	412	गोदामीकृत	मेससं एम.आर.इन्टरप्राइजेस	34350.50	27930.63
खैरामङ्क	27	खैरामङ्क	50.000	47.000	32.000	13.200	206.200	301	आश्रित	मेससं देवी इन्टरप्राइजेस	62066.20	58127.78
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	1500.000	176.000	0.000	0.000	176.000	281	आश्रित	मेससं प्रवीणचन्द्र आतिलत एण्ड कंपनी	49456.00	49614.40
मरवाडी	29	मरवाडी	250.000	0.000	0.000	0.000	0				0.00	0.00
कोरवा	30	कोरवा	200.000	0.000	0.000	0.000	0				0.00	0.00
कटधोरा	31	कटधोरा	350.000	1.190	74.490	0.000	187.415	0			0.00	0.00
रायमङ्क	32	रायमङ्क	300.000	7.750	0.000	0.000	7.750	325	आश्रित	श्री राजेश कुमार अप्रवाल	2518.75	2184.73
घर्मजयमङ्क	33	घर्मजयमङ्क	500.000	26.000	110.000	0.000	301.000	314	आश्रित	श्री राजेश कुमार अप्रवाल	94514.00	84851.90
पूर्व सरुजा	34	पूर्व सरुजा	300.000	0.000	0.000	0.000	0				0.00	0.00
उत्तर सरुजा	35	उत्तर सरुजा	100.000	0.000	0.000	0.000	0				0.00	0.00
दविण सरुजा	36	दविण सरुजा	300.000	188.710	8.880	0.000	210.910	451	गोदामीकृत	मेससं अशोक ट्रेडिंग कंपनी	95120.41	70654.85
मनेन्द्रमङ्क	37	मनेन्द्रमङ्क	800.000	148.000	0.000	0.000	148.000	351	आश्रित	मेससं रामपाल विनेज कुमार	51948.00	41721.20
कोरिया	38	कोरिया	400.000	0.000	0.000	0.000	0				0.00	0.00
जगपुरनगर	39	जगपुरनगर	600.000	209.430	0.000	0.000	209.430	451	गोदामीकृत	मेससं अशोक ट्रेडिंग कंपनी	94452.93	70159.05
	वोग		51000	38321.050	1654.020	13.200	42535.300				14401235.01	11988630.83

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	14401235.01
विक्रय मूल्य प्रति विवरत	340.11
कुल वर्तमान मूल्य 281.90/- प्रति विवरत	11988630.83
मुद्रा ताप	2412604.18
मुद्रा ताप प्रति विवरत	56.98
संग्रहण मनमूदी 275/- प्रति विवरत	11697207.50

परिशिष्ट - 'च'

हरा संग्रहण वर्ष 2008-2009 का विकाय

Date : 09.08.2015

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुभानित मात्रा (विवरत में)	विकाय दर		क्रेता का नाम	अनुभानित मात्रा के आधार पर	अनुभानित मात्रा के आधार पर विकाय मूल्य व्यय
कोकेर	1	कोकेर	4000.000	472.00	अधिकारी	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1888000.00	1527600.00
कोकेर	2	नरहरपुर	4000.000	464.00	अधिकारी	मेसर्स प्रकाश चन्द खट्टानी	1856000.00	1527600.00
कोकेर	3	सरोना	1000.000	450.00	अधिकारी	मेसर्स प्रवीणचन्द शांतिलाल एण्ड कंपनी	450000.00	381900.00
कोकेर	4	कोकेर	3000.000	437.00	अधिकारी	मेसर्स दोषी इन्टरप्राइजेस	1311000.00	1145700.00
कोकेर	5	बरामा	2500.000	441.00	अधिकारी	मेसर्स दोषी ट्रेडिंग कंपनी	1102500.00	954750.00
उत्तर कोण्डागांव	6	फरसगांव	1500.000	480.00	अधिकारी	मेसर्स प्रवीणचन्द शांतिलाल एण्ड कंपनी	720000.00	572850.00
उत्तर कोण्डागांव	7	केशकोल	3000.000	429.00	अधिकारी	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1287000.00	1145700.00
दविण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	3700.000	407.00	अधिकारी	मेसर्स प्रवीणचन्द शांतिलाल एण्ड कंपनी	1505900.00	1413030.00
दविण कोण्डागांव	9	परिवाम कोण्डागांव	800.000	461.00	अधिकारी	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	368800.00	305520.00
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	2000.000	403.00	अधिकारी	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	806000.00	763800.00
नारायणपुर	11	दविण नारायणपुर	2500.000	404.00	अधिकारी	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1010000.00	954750.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	3000.000	437.00	अधिकारी	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1311000.00	1145700.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतामङ्क	2000.000	401.00	अधिकारी	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	802000.00	763800.00
परिवाम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	1000.000	400.00	अधिकारी	मेसर्स मोहनलाल स्वरूपचन्द जैन	400000.00	381900.00
परिवाम भानुप्रतापपुर	15	परिवाम कापसी	1000.000	400.00	अधिकारी	मेसर्स मोहनलाल स्वरूपचन्द जैन	400000.00	381900.00
जगदलपुर	16	बस्तर	2500.000	429.00	अधिकारी	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1072500.00	954750.00
सुकमा	17	सुकमा	200.000	0.00			0.00	0.00
देवावाडा	18	देवावाडा	300.000	0.00			0.00	0.00
बीजापुर	19	बीजापुर	100.000	0.00			0.00	0.00
रायपुर	20	रायपुर	100.000	0.00			0.00	0.00
महासमुद्र	21	महासमुद्र	1000.000	492.00	अधिकारी	मेसर्स रामकल दिनेश कुमार	492000.00	381900.00
धमतरी	22	धमतरी	3750.000	437.00	अधिकारी	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1638750.00	1432125.00
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	800.000	0.00			0.00	0.00
उदन्ती	24	उदन्ती	1000.000	0.00			0.00	0.00
दुर्ग	25	दुर्ग	500.000	431.00	अधिकारी	मेसर्स दोषी इन्टरप्राइजेस	215500.00	190950.00
कवर्धी	26	कवर्धी	100.000	381.00	अधिकारी	मेसर्स दोषी इन्टरप्राइजेस	38100.00	381900.00
खैरामङ्क	27	खैरामङ्क	50.000	401.00	अधिकारी	मेसर्स दोषी इन्टरप्राइजेस	20050.00	19095.00
राजनोंदगांव	28	राजनोंदगांव	1500.000	385.00	अधिकारी	मेसर्स दोषी इन्टरप्राइजेस	577500.00	572850.00
मरवाली	29	मरवाली	250.000	0.00			0.00	0.00
कोराबा	30	कोराबा	200.000	0.00			0.00	0.00
कट्टोरा	31	कट्टोरा	350.000	0.00			0.00	0.00
रायगङ	32	रायगङ	300.000	0.00			0.00	0.00
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	500.000	385.00	अधिकारी	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	192500.00	190950.00
पूर्व सरसुजा	34	पूर्व सरसुजा	300.000	0.00			0.00	0.00
उत्तर सरसुजा	35	उत्तर सरसुजा	100.000	0.00			0.00	0.00
दविण सरसुजा	36	दविण सरसुजा	300.000	0.00			0.00	0.00
मेनेंद्रगङ्क	37	मेनेंद्रगङ्क	800.000	0.00			0.00	0.00
कोरिया	38	कोरिया	400.000	0.00			0.00	0.00
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	600.000	0.00			0.00	0.00
		योग	51000.000				19465100.00	17147310.00

हरा की अनुभानित मात्रा	51000.000	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विकाय मूल्य	19465100.00
विकाय हरा	44900.000	विकाय मूल्य प्रति विवरत	433.52
अनिकित हरा	6100.000	कुल व्यय 381.90/- प्रति 435/- प्रति विवरत	17147310.00
		शुद्ध लाग	2317790.00
		शुद्ध लाग प्रति विवरत	51.62
		संग्रहण मजदूरी 375/- प्रति विवरत	19125000.00

परिषेष्ट - 'छ'

कुल्लू गोद संग्रहण वर्ष 2007-2008 का विक्रय

Date : 09.08.2015

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (विवेटल में)	संग्रहित मात्रा (विवेटल में)			विक्रय दर	क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय
			ग्रेड - I	ग्रेड - II	योग				
1	पूर्व भानुप्रतापपुर	30.000	9.756	0.000	9.756	16000.00	अग्रिम	मेसर्स हुकुमचंद कालूराम गुप्ता	156096.00
2	नारायणपुर	50.000	16.960	0.000	16.960	17600.00	गोदीकृत	मेसर्स बाहुबली उद्योग	298496.00
3	सुकमा	250.000	24.000	369.860	393.860	11501.00	गोदीकृत	मेसर्स रतन द्रेडस	4529783.86
4	बीजापुर	250.000	304.020	2.000	306.020	15500.00	अग्रिम	मेसर्स रतन द्रेडस	4743310.00
5	देतेवाडा	100.000	350.000	0.000	350.000	15500.00	अग्रिम	मेसर्स हुकुमचंद कालूराम गुप्ता	5425000.00
योग			704.736	371.860	1076.596				15152685.86
									15021958.04

गोद की अनुमानित मात्रा 1076.596

विक्रित मात्रा 1076.596

अविक्रित मात्रा 0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य

15152685.86

विक्रय मूल्य प्रति विवेटल

14074.63

कुल व्यय 15460/- एवं 11060/- प्रति विवेटल

15021958.04

शुद्ध लागत

130727.82

शुद्ध लागत प्रति विवेटल

121.43

संग्रहण मञ्जदूरी 15400/- एवं 11000/- प्रति विवेटल

14943394.40

परिशिष्ट - 'ज'

कुल्लू गोद संग्रहण वर्ष 2008-2009 का विक्रय

Date : 09.08.2015

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (विवेटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय
1	पश्चिम भानुप्रतापपुर	30.000	16100.00	अग्रिम	मेसर्स हुकुमचन्द कालूराम गुप्ता	483000.00	430800.00
2	नारायणपुर	50.000	15900.00	अग्रिम	मेसर्स रोहित हुकुमचन्द गुप्ता	795000.00	718000.00
3	सुकमा	250.000	15500.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	3875000.00	3590000.00
4	बीजापुर	250.000	16500.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	4125000.00	3590000.00
5	देतवाडा	100.000	16100.00	अग्रिम	मेसर्स हुकुमचन्द कालूराम गुप्ता	1610000.00	1436000.00
योग		680.000				10888000.00	9764800.00

गोद की अनुमानित मात्रा	680.000	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	10888000.00
विक्रित मात्रा	680.000	विक्रय मूल्य प्रति विवेटल	16011.76
अविक्रित मात्रा	0.000	कुल व्यय 15460/- एवं 11060/- प्रति विवेटल	9764800.00
		शुद्ध लाभ	1123200.00
		शुद्ध लाभ प्रति विवेटल	1651.76
		संग्रहण मजदूरी 15400/- एवं 11000/- प्रति विवेटल	9724000.00

परिशिष्ट - 'झ'

थावड़ा, खैर एवं बबूल गोद संग्रहण वर्ष 2007-2008 का विक्रय

Date : 09.08.2015

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुपस्थित मात्रा (विवरत में)	संग्रहित मात्रा			विक्रय दर		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यव
			थावड़ा (विवरत में)	खैर/बबूल (विवरत में)	कुल गोद (थावड़ा) (विवरत में)					
1	सरगुजा	25.000	निरंक	निरंक	निरंक					निरंक
2	कोरिया	10.000	निरंक	निरंक	निरंक					निरंक
3	रायगढ़	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					निरंक
4	घमंज़रायगढ़	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					निरंक
5	पेंद्रा	25.000	निरंक	निरंक	निरंक					निरंक
6	घमतरी	125.000	0.000	0.000	0.000					0.00
7	महासमुद्र	350.000	निरंक	निरंक	निरंक					निरंक
8	रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					निरंक
9	पूर्व रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					निरंक
10	उदन्ती	20.000	निरंक	निरंक	निरंक					निरंक
11	टुर्प	100.000	0.000	65.000	39.000	2900.00	अधिक	मेससं आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	113100.00	111150.00
12	कवर्धी	20.000	निरंक	निरंक	निरंक	2950.00	अधिक	मेससं विणु ट्रेडिंग कंपनी		निरंक
13	खैरगढ़	25.000	10.000	0.000	10.000	2900.00	अधिक	मेससं आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	29000.00	28100.00
14	राजनांदगांव	150.000	0.000	120.000	72.000	2850.00	अधिक	मेससं आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	205200.00	205200.00
15	परिचम भानुप्रतापपुर	300.000	0.000	0.000	0.000	2775.00	अधिक	मेससं रतन ट्रेडिंग		0.00
16	नारायणपुर	50.000	0.000	0.000	0.000	4100.00	अधिक	श्री अवैस कुमार साव		0.00
17	जगदलपुर	10.000	1.000	0.000	1.000	5101.00	अधिक	मेससं रतन ट्रेडिंग	5101.00	2810.00
18	बीनापुर	50.000	0.000	0.000	0.000	2900.00	अधिक	मेससं गजानन इन्टरप्राइजेस		0.00
19	मुक्का	100.000	40.000	70.000	82.000	2900.00	अधिक	मेससं रतन ट्रेडिंग	237800.00	232100.00
20	विलासपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					निरंक
21	जांगीर-चौपा	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					निरंक
	योग	1660.00	51.000	255.000	204.000					590201.00
										579360.00

गोद की संग्रहित मात्रा	थावड़ा	खैर/बबूल	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	590201.00
विक्रित गोद	51.000	255.000	विक्रय मूल्य प्रति विवरत	2893.14
अविक्रित गोद	51.000	255.000	कुल व्यव 2844/- एवं 1744/- प्रति विवरत	579360.00
	0.000	0.000	शुद्ध लाग	10841.00
			शुद्ध लाग प्रति विवरत	53.14
			संग्रहण मजदूरी 2750/- एवं 1650/- प्रति विवरत	561000.00

परिशिष्ट - 'ज'

धावडा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2008-2009 का विक्रय

Date : 09.08.2015

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (विवेंटल में)	विक्रय दर		प्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय
1	सरगुजा	25.000	0.00				
2	कोरिया	10.000	0.00				
3	रायगढ़	50.000	0.00				
4	धर्मजयगढ़	50.000	0.00				
5	पेंड्रा	25.000	0.00				
6	धमतरी	125.000	0.00				
7	महासमुद्र	350.000	0.00				
8	रायपुर	50.000	0.00				
9	पूर्व रायपुर	50.000	0.00				
10	उदन्ती	20.000	0.00				
11	तुर्न	100.000	3000.00	अधिक्रम	मेसर्स रतन ड्रेडर्स	300000.00	215000.00
12	कवर्धा	20.000	0.00			0.00	0.00
13	खेरागढ़	25.000	2800.00	अधिक्रम	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रेसेस (आई.) प्राय. लिमि.	70000.00	53750.00
14	राजनांदगांव	150.000	2800.00	अधिक्रम	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रेसेस (आई.) प्राय. लिमि.	420000.00	322500.00
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	300.000	0.00	अधिक्रम		0.00	0.00
16	नारायणपुर	50.000	0.00	अधिक्रम		0.00	0.00
17	जगदलपुर	10.000	3500.00	अधिक्रम	मेसर्स रतन ड्रेडर्स	35000.00	21500.00
18	बीजापुर	50.000	3100.00	अधिक्रम	मेसर्स रतन ड्रेडर्स	155000.00	107500.00
19	सुकमा	100.000	2950.00	अधिक्रम	मेसर्स हुकुमचन्द कालूराम गुप्ता	295000.00	215000.00
20	बिलासपुर	50.000	2800.00	अधिक्रम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	140000.00	107500.00
21	जांजगीर-चांपा	50.000	2800.00	अधिक्रम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	140000.00	107500.00
		1660.000				1555000.00	1150250.00

अनुमानित गोंद	1660.000	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	1555000.00
विक्रित गोंद	535.000	विक्रय मूल्य प्रति विवेंटल	2906.54
अविक्रित गोंद	1125.000	कुल व्यय 2810/- एवं 1710/- प्रति विवेंटल	1150250.00
		शुद्ध लाभ	404750.00
		शुद्ध लाभ प्रति विवेंटल	756.54
		संग्रहण मजदूरी 2750/- एवं 1650/- प्रति विवेंटल	3469400.00

परिशिष्ट - 'ट'

संग्रहण वर्ष 2007 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रु. (लाख में)

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 2007		
		जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 70)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	वितरण से शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	471.36	469.11	2.25
2	पूर्वी सरगुजा	177.40	157.33	20.07
3	मनेन्द्रगढ़	355.29	355.29	0.00
4	कोरिया	286.20	269.49	16.71
5	दक्षिण सरगुजा	278.99	279.00	-0.01
6	जशपुरनगर	74.65	73.95	0.70
7	धरमजयगढ़	360.40	323.42	36.98
8	रायगढ़	252.07	244.54	7.53
9	मरवाही	234.56	172.27	62.29
10	कटघोरा	858.39	858.09	0.30
11	कोरबा	538.73	537.19	1.54
12	जांजगीर चांपा	1.67	1.67	0.00
13	बिलासपुर	76.91	69.03	7.88
14	महासमुन्द	994.03	994.03	0.00
15	रायपुर	260.85	260.85	0.00
16	धमतरी	344.51	344.51	0.00
17	पूर्व रायपुर	752.57	752.57	0.00
18	उदन्ती	240.85	238.47	2.38
19	कांकेर	341.79	341.79	0.00
20	उत्तर कोण्डागांव	202.05	202.05	0.00
21	दक्षिण कोण्डागांव	102.40	102.40	0.00
22	नारायणपुर	77.74	77.74	0.00
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	956.91	940.46	16.45
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	350.93	350.93	0.00
25	सुकमा	229.69	218.10	11.59
26	बीजापुर	325.21	280.78	44.43
27	जगदलपुर	106.54	106.54	0.00
28	दंतेवाड़ा	38.41	38.41	0.00
29	दुर्ग	236.30	175.74	60.56
30	कवर्धा	252.89	204.76	48.13
31	राजनांदगांव	631.40	631.40	0.00
32	खैरागढ़	258.63	258.34	0.29
योग		10670.32	10330.25	340.07

परिशिष्ट - 'ठ'

मूलभूत सुविधा हेतु वर्ष 1999+2000 से 2007 तक उपलब्ध राशि

राशि रु. (लाख में)

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 1999+2000 से 2007 तक		
		मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15)	जिला यूनियन द्वारा कराये गये कार्यों की राशि	जिला यूनियन द्वारा राशि के कार्य कराने शेष (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	233.14	100.89	132.25
2	पूर्वी सरगुजा	59.55	14.70	44.86
3	मनेन्द्रगढ़	205.86	129.56	76.30
4	कोरिया	178.73	20.76	157.97
5	दक्षिण सरगुजा	91.81	21.27	70.54
6	जशपुरनगर	46.51	25.46	21.05
7	धरमजयगढ़	447.95	222.85	225.10
8	रायगढ़	250.07	151.08	99.00
9	मरवाही	121.70	63.46	58.25
10	कटघोरा	517.36	279.06	238.30
11	कोरबा	409.14	217.79	191.35
12	जांजगीर चांपा	2.60	2.47	0.13
13	बिलासपुर	31.51	8.24	23.27
14	महासमुन्द	530.22	263.97	266.25
15	रायपुर	213.77	63.28	150.49
16	धमतरी	267.98	95.69	172.29
17	पूर्व रायपुर	597.46	519.73	77.73
18	उदन्ती	148.61	39.92	108.69
19	कांकेर	278.41	130.67	147.73
20	उत्तर कोण्डागांव	108.62	42.40	66.23
21	दक्षिण कोण्डागांव	87.44	46.33	41.11
22	नारायणपुर	54.30	20.48	33.82
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	628.58	204.97	423.61
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	216.22	111.05	105.17
25	सुकमा	344.38	158.67	185.71
26	बीजापुर	372.61	210.76	161.85
27	जगदलपुर	67.17	28.22	38.95
28	दत्तेवाड़ा	76.49	29.74	46.75
29	दुर्ग	135.35	42.26	93.10
30	कवर्धा	128.95	46.65	82.30
31	राजनांदगांव	419.90	141.09	278.82
32	खैरागढ़	151.78	58.51	93.27
योग		7424.20	3511.97	3912.23

परिशिष्ट - 'ड'

वन एवं वनोपज का विकास हेतु जिला यूनियनवार जानकारी

राशि रु. (लाख में)

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	वन एवं वनोपज के विकास हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15)	जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई राशि
1	2	3	4
1	उत्तर सरगुजा	1.90	0.38
2	पूर्वी सरगुजा	0.84	0.17
3	मनेन्द्रगढ़	1.25	0.25
4	कोरिया	1.23	0.25
5	दक्षिण सरगुजा	0.81	0.16
6	जशपुरनगर	0.60	0.12
7	धरमजयगढ़	3.30	0.66
8	रायगढ़	1.97	0.39
9	मरवाही	0.96	0.19
10	कटघोरा	3.38	0.68
11	कोरबा	2.92	0.58
12	जांजगीर चांपा	0.04	0.01
13	बिलासपुर	0.13	0.03
14	महासमुन्द	3.20	0.64
15	रायपुर	1.47	0.29
16	धमतरी	1.95	0.39
17	पूर्व रायपुर	4.24	0.85
18	उदन्ती	0.81	0.16
19	कांकेर	1.93	0.39
20	उत्तर कोणडागांव	1.35	0.27
21	दक्षिण कोणडागांव	1.25	0.25
22	नारायणपुर	0.42	0.08
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	4.15	0.83
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	1.48	0.30
25	सुकमा	3.03	0.61
26	बीजापुर	3.26	0.65
27	जगदलपुर	0.89	0.18
28	दत्तेवाड़ा	0.76	0.15
29	दुर्ग	0.95	0.19
30	कवर्धा	0.76	0.15
31	राजनांदगांव	3.20	0.64
32	खैरागढ़	1.03	0.21
योग		55.47	11.10

परिशिष्ट - 'ढ'

सालबीज सीजन 2007 का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन की गणना अनुसार प्रदाय राशि	जिला यूनियन द्वारा वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक	जिला यूनियन स्तर पर वितरण से शेष प्रोत्साहन पारिश्रमिक (3-4)
1	2	3	4	5
1	कोरिया	22.91	14.81	8.11
2	मनेन्द्रगढ़	17.68	0.00	17.68
3	उत्तर सरगुजा	53.22	0.00	53.22
4	पूर्वी सरगुजा	156.24	22.02	134.22
5	दक्षिण सरगुजा	129.61	129.61	0.00
6	जशपुर नगर	117.33	10.19	107.13
7	कोरबा	65.19	65.19	0.00
8	रायगढ़	8.02	8.02	0.00
9	धरमजयगढ़	69.25	31.87	37.39
10	कटघोरा	24.63	24.63	0.00
11	बिलासपुर	0.30	0.30	0.00
12	मारवाही	18.38	14.70	3.68
13	कांकेर	17.36	4.15	13.21
14	पूर्व भानुपतापपुर	89.71	30.62	59.09
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	4.15	4.15	0.00
16	उत्तर कोणडागांव	284.90	116.81	168.09
17	दक्षिण कोणडागांव	351.30	210.10	141.21
18	नारायणपुर	53.89	53.89	0.00
19	दंतेवाड़ा	11.92	11.92	0.00
20	जगदलपुर	222.11	11.02	211.08
21	सुकमा	10.23	8.14	2.09
22	पूर्व रायपुर	97.91	97.80	0.10
23	उदंती	28.14	23.15	4.99
24	महासमुंद	0.57	0.57	0.00
25	रायपुर	0.65	0.65	0.00
26	धमतरी	63.69	0.00	63.69
27	कर्वाई	19.79	8.06	11.73
योग		1939.08	902.38	1036.71

विषय क्रमांक - 3

विषय : वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।

(i) संघ में रिक्त पदों की भरती

संघ में जो भी पद रिक्त होगी उन पर भरती संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

(ii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का लेखा प्रशिक्षण ।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के शेष 48 प्रबंधकों को लेखा प्रशिक्षण दिया जावेगा । इस तरह समस्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधक लेखा प्रशिक्षित हो जावेंगे ।

(iii) तेन्दूपत्ते का व्यापार

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 एवं पूर्व के वर्षों के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

वर्ष 2009 तेंदू पत्ता सीजन में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते के अग्रिम विक्रय हेतु 899 प्राथमिक सहकारी समितियों के तेंदू पत्ते के कुल 931 लाट बनाये गये । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार वर्ष 2005, 2006, 2007 व 2008 की भाँति इस वर्ष भी राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों से तेन्दूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण नहीं किया जाना है, अतः इन क्षेत्रों में वर्ष 2009 में उत्पादित होने वाले तेन्दूपत्ते को विक्रय हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2009 में लगभग 17.93 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । संग्रहण वर्ष 2009 में तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर 650/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । विभिन्न निविदाओं में अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को 17.93 लाख मानक बोरा रु. 311.43 करोड़ में विक्रय किया गया है एवं औसत दर रु. 1737/- प्रति मानक बोरा है । अग्रिम में विक्रित तेन्दूपत्ते से वित्तीय वर्ष 2009-2010 में लगभग राशि रु. 280.28 करोड़ प्राप्त होंगे । इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में कुल रु. 116.55 करोड़ की मजदूरी के वितरण का अनुमान है । तेन्दूपत्ता संग्रहण, उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण के विस्तृत निर्देश अपर मुख्य सचिव, वन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त कलेक्टर तथा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ को जारी किया जा चुका है । इस कार्य में सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाएं ली जावेगी ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण में शासन के विभिन्न विभागों, प्राथमिक वनोपज समितियों, पंचों/सरपंचों, ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों के द्वारा सक्रिय भूमिका अदा की जाना है ताकि अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का पत्ता संग्रहित हो सके तथा संग्राहकों को सही समय से संग्रहण प्रारिश्रमिक प्राप्त हो सके ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2010 के अग्रिम निर्वतन की कार्यवाही भी माह दिसम्बर' 2009 से प्रारंभ किया जाना है ।

(iv) सालबीज का व्यापार

संग्रहण वर्ष 2009 के सालबीज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य भी वर्ष 2008 की भाँति संघ द्वारा शासन के अभिकर्ता के रूप में किया जावेगा। वर्ष 2009 में 4 लाख किंवंटल सालबीज उत्पादित होने का अनुमान है।

(v) हर्रा का व्यापार

वानिकी वर्ष 2008-09 में विभिन्न जिला यूनियनों में 39 हर्रा इकाईयों में लगभग 51000 किंवंटल हर्रा का उत्पादन होना संभावित है। इन इकाईयों के अग्रिम निर्वर्तन हेतु वर्ष 2008-09 में 4 बार निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं, जिसमें से 23 इकाईयों की अनुमानित 44900 किंवंटल मात्रा का निर्वर्तन हो चुका है। शेष अनिर्वर्तित इकाईयों में संग्रहित हर्रा, कचरिया के निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी तथा अन्तिम रूप से अनिर्वर्तित इकाईयों में विभागीय संग्रहण कर भंडारित हर्रा का निर्वर्तन किया जावेगा।

हर्रा संग्रहण वर्ष 2009-10 में संग्रहित होने वाले हर्रा के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है।

(vi) कुल्लू गोंद का व्यापार

वानिकी वर्ष 2008-2009 सीजन में कुल्लू गोंद, जिसका संभावित उत्पादन लगभग 680 किंवंटल है, का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया गया है। सभी 5 इकाईयों का निर्वर्तन किया जा चुका है। गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) की संग्रहण दर प्रथम श्रेणी के लिये रु. 15400/- प्रति किंवंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रु. 11000/- प्रति किंवंटल निर्धारित की गई है। अग्रिम में नियुक्त क्रेता के द्वारा इस दर पर संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान संग्राहकों को किया जा रहा है। अनुमानित उत्पादन के अनुसार रु. 97.24 लाख की संग्रहण मजदूरी संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है। विगत वर्षों में सम्पूर्ण कुल्लू गोंद का अग्रिम निर्वर्तन होने से किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है तथा संग्राहकों को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है।

गोंद संग्रहण वर्ष 2009-10 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है।

(vii) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) का व्यापार

वानिकी वर्ष 2008-2009 सीजन में संभावित उत्पादन कुल 1660 किंवंटल है। विगत वर्ष अनुसार ही गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की इकाईयों का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया जा रहा है। गोंद वर्ग-2 में से बबूल एवं खैर गोंद की संग्रहण दर रु. 1650/- प्रति किंवंटल एवं धावड़ा गोंद की संग्रहण दर रु. 2750/- प्रति किंवंटल निर्धारित है। इनमें से 8 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 535 किंवंटल का अग्रिम में निर्वर्तन हुआ है, जिनका विक्रय मूल्य रुपये 15.55 लाख है। शेष 13 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 1125 किंवंटल के अग्रिम विक्रय की कार्यवाही अथवा इन लाट में संग्रहित एवं भंडारित गोंद के निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी। अनुमानित उत्पादन के अनुसार रु. 34.69 लाख की संग्रहण मजदूरी संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है।

गोंद संग्रहण वर्ष 2009-10 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है।

(viii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य, जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है, को समूह बीमा योजना का लाभ इस वर्ष भी प्राप्त होगा।

(ix) तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के हैं, के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की “जनश्री” बीमा योजना इस वर्ष भी लागू रहेगी तथा इससे मिलने वाले सभी लाभ संग्राहक परिवार को उपलब्ध कराये जावेंगे। इस योजना से जुड़ी मुखिया के 2 बच्चों की छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी इस वर्ष प्राप्त होगा।

(x) वर्ष 2008 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 में तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय को छोड़कर) की राशि में से 70 प्रतिशत की राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किये जाने का अनुमान हैं। यह राशि लगभग रूपये 62.30 करोड़ होगी।

(xi) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है। वर्ष 1999 से 2007 तक की राशि रु. 74.24 करोड़ जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं जिनके विरुद्ध अभी तक रु. 35.12 करोड़ के कार्य ही कराये गये हैं एवं अवशेष राशि रु. 39.12 करोड़ के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा इस वर्ष कराये जावेंगे। इसके अतिरिक्त संग्रहण वर्ष 2008 की राशि लगभग रु. 13.35 करोड़ भी जिला यूनियन के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जावेगी।

(xii) वन एवं वनोपज का विकास

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जावेंगे। इस हेतु जिला यूनियनों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति के आधार पर इस हेतु उपलब्ध अवशेष राशि रु. 44.37 करोड़ में से राशि उपलब्ध करायी जावेगी।

(xiii) जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण

संघ मुख्यालय की लेखा पुस्तकों एवं जिला यूनियनों के लेखा पुस्तकों का मिलान करने हेतु संघ मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण कर उनके कार्यालयों का आय, व्यय, भंडार एवं स्कंध सम्बन्धी प्रविष्टियों एवं संधारित अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(xiv) चरणपादुका का वितरण

वर्ष 2009-10 में चरणपादुका प्रदाय करने हेतु आदेशित प्रदायकर्ताओं से चरणपादुका प्राप्त कर लगभग 13.00 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार की एक महिला सदस्य को एक-एक

जोड़ी चरणपादुका वितरित किया जावेगा, तथा वर्ष 2009-10 में वितरित की जाने वाली चरणपादुका के क्रम की कार्यवाही की जावेगी ।

(xv) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विकास

15.1 यूरोपियन कमीशन द्वारा स्वीकृत अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना

छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वनाधारित जीविकोपार्जन की परियोजना यूरोपियन कमीशन से स्वीकृत हुये प्रस्ताव के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित किये जाने वाले अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यपरियोजना के तृतीय वर्ष में रु. 7.00 करोड़ व्यय किये जाने का प्रावधान है । वर्ष 2009-10 में इस योजना के तहत किये जाने वाले कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

15.1.1 संसाधन सर्वेक्षण

संसाधन सर्वेक्षण जानकारी के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य के लिये प्रजाति उपलब्धता तथा लघु वनोपज संबंधी डी.एस.एस. तैयार किया जावेगा । जिससे लघु वनोपज आधारित विकास रणनीति तैयार किया जा सके ।

15.1.2 हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

इथनोबॉटनिकल सर्वे के आधार पर परंपरागत औषधि उत्पादों में से उपयुक्त उत्पादों का साइन्टिफिक वैलिडेशन विशेषज्ञों के माध्यम से कराया जा रहा है । उपरोक्तानुसार उत्तम पाये जाने वाले उत्पादों के उपयोग हेतु राज्य में 20 वनौषधालय की स्थापना की जावेगी ताकि स्थानीय स्तर पर हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा मिल सके ।

15.1.3 लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापना

इस वर्ष परियोजना लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 19 माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किया जाना है । जिसमें 42 माइक्रोइन्टरप्राइजेस, मुख्यतः कच्चे लघु वनोजपज संग्रहण (8), लाख पालन (11), शहद संग्रहण (2), माहुल पत्ता प्रसंस्करण (9), इमली प्रसंस्करण (4), तैलीय बीज प्रसंस्करण (2), लाख प्रसंस्करण (1), चिरौंजी प्रसंस्करण (1), वनौषधि निर्माण (2) एवं आवंला प्रसंस्करण (2) स्थापित किये गये हैं तथा पूर्व में स्वीकृत परियोजना की प्रगति में वृद्धि लाने का प्रयास किया जावेगा ।

15.1.4 विपणन

इस घटक के तहत पैकेजिंग में सुधार, ब्राण्ड प्रमोशन तथा लघु वनोपज दर हेतु सूचना प्रणाली आदि कार्य किया जावेगा । साथ ही संजीवनी केन्द्र सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य किया जावेगा ।

15.1.5 अनुसंधान विस्तार, सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं प्रमाणीकरण

इस घटक के तहत नये उत्पाद तथा प्रसंस्करण की तकनीकी पर अनुसंधान के साथ परियोजना प्रगति समीक्षा हेतु एम.आई.एस. विकसित किया जा रहा है, साथ ही चुनिंदा उत्पाद प्रमाणीकरण पर कार्य किया जावेगा ।

15.1.6 क्षमता विकास

इस घटक के तहत प्राथमिक वनोपज समिति, वन समिति तथा वन अमले का सशक्तिकरण हेतु एवं हितग्राहियों के प्रशिक्षण आयोजित किये जावेंगे, इसके तहत लगभग 5 हजार हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

15.2 यू.एन.डी.पी. तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत शासन द्वारा स्वीकृत जैव विविधता परियोजना

वर्ष 2008-09 में राज्य के कटघोरा जिला यूनियन में 3063.224 हेक्टेयर, जगदलपुर जिला यूनियन में 3094.165 हेक्टेयर एवं उत्तर कोणागांव जिला यूनियन में 3207.264 हेक्टेयर में स्थानीय समुदाय की सहभागिता से जैव विविधता संवर्धन तथा रोजगार सृजन करने हेतु प्रारंभ की गयी योजना के द्वितीय वर्ष 2009-10 में बाह्य स्थलीय संवर्धन, वनेत्तर क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण, आर्गेनिक सर्टिफिकेशन, माईक्रोइंटरप्राइजेस स्थापना, समुदाय के क्षमता विकास, अभिलेखन आदि कार्य किये जायेंगे।

15.3 आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान

आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली को वर्ष 2009-10 हेतु रूपये 5.00 करोड़ की परियोजना भेजी गई है। योजना स्वीकृत होने पर उक्त राशि से गोदाम निर्माण व लघु वनोपज के उपार्जन का कार्य कराया जावेगा।

15.4 आदिवासी उपयोजना राज्य शासन का अनुदान

राज्य शासन की नवीन योजनान्तर्गत लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु राशि रूपये 200.00 लाख प्राप्त हुआ है। इस राशि से वर्ष 2009-10 में माहुल पत्ता प्रसंस्करण, ईमली प्रसंस्करण, आंवला प्रसंस्करण, फार्मेसी स्थापना तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना आदि कार्य किये जावेंगे।

15.5 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से रूपये 32.00 करोड़ की एक मुश्त राशि लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु पूरक बजट में प्राप्त हुई है। इस राशि से आंवला, ईमली, लाख, तैलीय बीज, चिरौंजी, बेल, माहुल पत्ता तथा वनौषधि आदि की बड़ी प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जावेगी।

15.6 ईमली संग्रहण

बस्तर क्षेत्र में पायी जाने वाली उत्तम गुणवत्ता की ईमली के प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर संग्राहकों को अतिरिक्त आय दिलाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2009-10 में अधिक से अधिक ईमली संग्रहण तथा प्रसंस्करण करने हेतु विभिन्न जिला यूनियनों को 50,000 किंवटल ईमली संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है।

15.7 लाख विकास योजना

लाख विकास योजना हेतु राज्य शासन से बजट मद, (6854) लाख विकास योजना में प्राप्त रु. 250.00 लाख की राशि से लाख पालन एवं लाख प्रसंस्करण परियोजना को बढ़ावा दिया जावेगा।

15.8 पी.पी.ए

राज्य के वर्ष 2008-09 में चयनित जिला यूनियनों में प्रति जिला यूनियन 1000 हेक्टेयर के मान से 10 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाकर संसाधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य औषधि प्रजातियाँ चिन्हांकित कर विनाशविहीन विदोहन प्रक्रिया द्वारा उनका संग्रहण किये जाने हेतु प्रयास किया जावेगा। इस हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को चक्रीय राशि संबंधित समिति विकास निधि से उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयास किये जावेंगे। विगत वर्षों में स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के रखरखाव का कार्य किया जायेगा।

(xvi) आदर्श उपविधियों (बायलॉज) में संशोधन

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ के प्रचलित उपविधियों (बायलॉज) में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इसलिए तीनों स्तर की संस्थाओं की आदर्श उपविधि का प्रारूप संघ की वेइसाइट पर अपलोड कर सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम रूप दिया जावेगा।

विषय क्रमांक - 4

विषय : वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये बजट की स्वीकृति ।

वर्ष 2009-2010 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

अनुमानित व्यय

(अ) लघु वनोपज संग्रहण व्यय -

अ.क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रुपयों में)	राशि (रु.लाख में)
1.	तेंदूपत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2009	17.93	लाख मा.बो.	900.00 प्रति मा.बोरा	16137.00
2.	सालबीज	2009	40000.00	टन	10120.00 प्रति टन	4048.00
3.	हर्रा	2007-08	253.53	टन (विभागीय)	2819.00 प्रति टन	7.15
		2008-09	2250.00	टन (अग्रिम)	3819.00 प्रति टन	151.18
			1500.00	टन (विभागीय)	4350.00 प्रति टन	
4.	कुल्लू गोंद	2007-08	34.47	टन	154600.00 प्रति टन	81.24
			25.19	टन	110940.00 प्रति टन	
		2008-09	36.00	टन	154600.00 प्रति टन	69.09
			12.00	टन	110940.00 प्रति टन	
5.	धावड़ा, खैर बबूला, गोंद	2008-09	31.20	टन	28100.00 प्रति टन	21.08
			46.80	टन	28440.00 प्रति टन	
योग						20514.74

(ब) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर व्यय -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रु. लाख में)
1	यूरोपियन कमीशन परियोजना	700.00
2	यू.एन.डी.पी.परियोजना (बायोडायवर्सिटी कनसरवेशन)	161.00
3	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	500.00
4	लाख विकास योजना	250.00
5	पी.पी.ए. सरकार मद	240.00
6	पी.पी.ए.संघ मद	316.00
7	लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त अनुदान	200.00
8	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भारत सरकार	3200.00
	योग	5567.00

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (लाख में)

अ.क्र.	विवरण	वर्ष 2008-2009 का बजट अनुमान	वर्ष 2008-09 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2009-10 हेतु प्रस्ताव
1.	वेतन भत्ते	110.00	140.00	200.00
2.	चिकित्सा व्यय	11.00	9.06	13.00
3.	यात्रा भत्ता	5.00	6.32	10.00
4.	अन्य भत्ते/व्यय	15.00	19.85	23.80
5.	ग्रेज्युटी(उपादान)	51.00	76.00	91.00
6.	बोनस	2.50	0.46	1.00
7.	लेखन सामग्री छपाई	15.00	9.32	15.00
8.	पोस्टेज/टेलीफोन	6.00	6.21	8.00
9.	भवन किराया /बिजली	20.00	18.66	20.00
10.	विज्ञापन प्रचार/प्रसार	20.00	16.29	20.00
11.	संचालक मंडल तथा आमसभा	2.00	2.67	4.00
12.	वाहन व्यय	15.00	15.86	19.00
13.	प्रशिक्षण	20.00	2.58	10.00
14.	विविध आकस्मिक	20.00	22.81	27.00
15.	फ़िंज बेनिफिट टैक्स	3.00	2.60	3.50
16.	चुनाव व्यय	150.00	100.00	10.00
17.	अंकेक्षण शुल्क	15.00	17.00	20.00
18.	न्यायालयीन व्यय	4.00	1.10	4.00
19.	घसारा	300.00	300.00	300.00
20.	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	100.00	73.78	100.00
योग :-		884.50	840.57	899.30

(द) पूंजीगत व्यय (लाख में)

1.	स्थायी संपत्ति हेतु प्रावधान	150.00	0.00	150.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान	175.00	175.00	175.00
3.	अंशपूंजी क्रय	5.00	0.00	5.00
4.	वाहन खरीदी हेतु प्रावधान	40.00	0.00	40.00
5.	कार्यालयीन उपकरण एवं फर्नीचर क्रय	0.00	25.00	30.00
योग :-		370.00	200.00	400.00

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2009-2010 में वनोपज की बिक्री से रु. **36373.296** लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रुपये लाख में)
1.	तेंदूपत्ता	31851.120
2.	सालबीज	4200.000
3.	हर्रा	174.197
4.	कुल्लू गोंद	102.489
5.	धावड़ा,गोंद	45.490
	योग	36373.296

वनोपजवार आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रुपये लाख में)
(अ)	तेंदूपत्ता वर्ष 2007 के तेन्दूपत्ते के क्रेताओं के क्रेता करारनामा समाप्त होने के कारण 0.68 लाख मानक बोरा के पुनः विक्रय से प्राप्त आय	683.40
1.	वर्ष 2009 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 17.93 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 17.93 लाख मानक बोरा के अनुमानित रु. 1737/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90 % राशि ।	28029.97
2.	वर्ष 2010 सीजन के हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 17.93 लाख मानक बोरा के अनुमानित रु. 1750/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य का 10 % राशि	3137.75
	योग	31851.12
(ब)	सालबीज	
1.	वर्ष 2009 सीजन में अनुमानित संग्रहित मात्रा 40000 टन के रु. 10500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	4200.00
	योग :-	4200.00

अ.क्र.	विवरण	राशि (रुपये लाख में)
(स) हरा		
1.	वर्ष 2004-2005 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 0.53 टन के रु. 200/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.001
2.	वर्ष 2005-2006 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 0.40 टन के रु. 1000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.004
3.	वर्ष 2006-2007 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 11.45 टन के रु. 1500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.172
4.	वर्ष 2007-2008 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 19.24 टन के रु. 3500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.67
5. क.	वर्ष 2008-2009 की माह जनवरी 2009 में विक्रीत अधिसूचित मात्रा 200.00 टन के विक्रय मूल्य रु. 8.00 लाख का 90 % राशि ।	7.20
ख.	वर्ष 2008-2009 संग्रहित होने वाली मात्रा 610 टन जो संग्रहित होगी के लिये रु. 4000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	24.40
5.	वर्ष 2009-2010 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 5000 टन की 75% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रु. 4200/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	141.75
	योग :-	174.197
(द) कुल्लू गोंद		
1.	वर्ष 2008-2009 सीजन की वर्ष 2009-2010 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष मात्रा 27.2 टन के रु. 160120/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	43.553
2.	वर्ष 2009-2010 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 68 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रु. 160500/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	58.936
	योग :-	102.489
(इ) धावड़ा, गोंद		
1.	वर्ष 2002-2003 की अवशेष मात्रा 0.14 टन के रु. 4000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.006
2.	वर्ष 2008-2009 सीजन की वर्ष 2009-2010 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष मात्रा 66.4 टन के रु. 28000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	18.592

अ.क्र.	विवरण	राशि (रुपये लाख में)
3.	वर्ष 2009-2010 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 166 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रु. 30000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	26.892
	योग :-	45.490
	महायोग आय :-	36373.296

(ब) विविध आय -

अ.क्र.	विवरण	राशि (रुपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	1321.21
2.	संघ की पूँजी (शीड केपीटल) के विनियोजन से प्राप्त आय	326.43
	योग :-	1647.64

(स) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रु. लाख में)
1	यूरोपियन कमीशन परियोजना	700.00
2	यू.एन.डी.पी.परियोजना (बायोडायवर्सिटी कनसरवेशन)	161.00
3	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	500.00
4	लाख विकास योजना	250.00
5	पी.पी.ए. सरकार मद	240.00
6	पी.पी.ए.संघ मद	316.00
7	लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त अनुदान	200.00
8	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भारत सरकार योग	3200.00 5567.00

प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	वर्ष 2007 के तेन्दूपत्ता के क्रेताओं के क्रेता करारनामा समाप्त होने के कारण रूपये 0.68 लाख मानक बोरा अवशेष तेन्दूपत्ता	683.400
2.	सालबीज	0.000
3.	हर्रा	32.447
4.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	43.550
5.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	18.598
	योग :-	777.995

अंतिम स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	सालबीज	0.000
3.	हर्रा	15.750
4.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	6.548
5.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	3.187
	योग	25.485

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	36373.296
2.	विविध आय	1647.64
3.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	5567.00
4.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	25.485
	महायोग	43613.421

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	20514.74
2.	कार्यालयीन व्यय	899.30
3.	पूंजीगत व्यय	400.00
4.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	5567.00
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	777.995
6.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, मूलभूत सुविधाओं के विकास तथा वनों एवं वनोपज के विकास हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	15127.956
	महायोग	43286.991

आधिक्य (लाख में)

कुल आय	43613.421
कुल व्यय	43286.991
संघ का शुद्ध लाभ	326.430

विषय क्रमांक - 5

विषय : वर्ष 2000-01 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।

संघ की वित्तीय वर्ष 2000-01 की पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायपुर द्वारा प्राप्त हो चुकी है। इस वर्ष वनोपज संघ को रूपये 1,00,52,422.98 का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। इस शुद्ध लाभ में से रूपये 84,25,024.98 की राशि मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के पुनर्गठन प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 31.10.2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को प्राप्त हुई थी तथा शेष राशि रूपये 16,27,399.00 दिनांक 01.11.2000 से 31.03.2001 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अंश पूंजी पर अपेक्ष सेंक से ब्याज के रूप में प्राप्त राशि है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम क्रमांक 30 के अनुसार वर्ष 2000-01 में अर्जित उक्त लाभ का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है। अतः वर्ष 2000-01 में अर्जित शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

क्रमांक	फंड का नाम	लाभ का प्रतिशत	राशि
1.	रक्षित निधि फंड	33.5 %	33,67,561.53
2.	अंश पूंजी मोचन फंड	20 %	20,10,484.50
3.	इन्वेन्ट्री लॉस फंड	10 %	10,05,242.25
4.	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3 %	3,01,572.67
5.	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10 %	10,05,242.25
6.	भवन एवं वाहन फंड	21.5 %	21,61,270.84
7.	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2 %	2,01,048.94
योग:-		100 %	1,00,52,422.98

उक्त प्रस्ताव को संचालक मण्डल की 34 वीं बैठक के विषय क्रमांक 34:12 में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। संचालक मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निम्न निर्णय लिया गया :-

“संचालक मण्डल के द्वारा वर्ष 2000-01 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन किया गया। वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का मदों में विभाजन संबंधी अंतिम अनुमोदन संघ की वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किया जावें।”

अतः संघ के संचालक मण्डल के निर्णय अनुसार वार्षिक आम सभा के समस्त वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय की उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 6

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की उपविधि की कंडिका 19, 19 (1) एवं 19 (4) में संशोधन

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की पंजीकृत उपविधि की कंडिका 19, 19(1) एवं 19(4) में संशोधन (संलग्न) अग्रलिखित तालिका में अंकित कारणों से किया जाना प्रस्तावित है।

आम सभा में उक्त संशोधन के पारित होने पर सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी संचालक (स्थापना/विकास), संघ के अनुमोदन उपरांत संशोधन को संघ के आगामी संचालक मण्डल के निर्वाचन से प्रभावशील माना जावेगा।

अतः संघ की वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की
उपविधियों में संशोधन का प्रस्ताव**
सोसाईटी का नाम :- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
पंजीयक क्रमांक:- 225 दिनांक 31.10.2000

उपविधि क्रिडिका क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	प्रस्तावित संशोधन हेतु उपविधियों की शब्दावली	संशोधन के लिये कारण
1	2	3	4
19	संघ के संचालक मंडल में कुल 15 संचालक होंगे	संघ के संचालक मंडल में छ.ग. शासन के निर्देश पर केन्द्रीय शासन के अधिकारियों के अतिरिक्त कुल 14 संचालक होंगे	वर्तमान में केन्द्रीय शासन के दो अधिकारी होने के कारण संचालक मंडल में संचालकों की संख्या 15 से अधिक हो रही है। भविष्य में अन्य केन्द्रीय अधिकारियों के नामांकन के कारण यह प्रावधान किया जा रहा है।
19(1)	निर्वाचित संचालक :- राज्य के बिलासपुर, रायपुर एवं बस्तर प्रत्येक राजस्व संभाग के जिला वनोपज सहकारी संघों द्वारा अपने प्रतिनिधियों में से निर्वाचित दो-दो संचालक	निर्वाचित संचालक :- राज्य के दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, कांकेर एवं सरगुजा वन वृत्तों में से प्रत्येक वन वृत्त के जिला वनोपज सहकारी संघों द्वारा अपने प्रतिनिधियों में से निर्वाचित एक-एक संचालक	छ.ग.राज्य गठन के समय रायपुर, बस्तर, बिलासपुर राजस्व संभाग थे। अप्रैल 2008 में छ.ग. राज्य में सरगुजा संभाग अस्तित्व में आ चुका है। अतः 3 संभागों के स्थान पर 4 राजस्व संभाग होने की स्थिति में संशोधन आवश्यक है। इस संशोधन से समस्त वन वृत्तों के सहकारी संघों को छ.ग.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के संचालक मण्डल में समान प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।
19 (4)	संचालक मण्डल पदेन संचालक :- 1. छ.ग.शासन के निर्देश पर केन्द्रीय शासन के अधिकारी 2. सचिव,छ.ग.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग या उनका प्रतिनिधि 3. पंजीयक सहकारी संस्थाएं या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त पंजीयक स्तर से कम का न हो 4. प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, 5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग 6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग	संचालक मण्डल पदेन संचालक :- 1. छ.ग.शासन के निर्देश पर भारत शासन के नामांकित अधिकारीगण 2. प्रभारी सचिव, छ.ग.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग या उनका प्रतिनिधि 3. पंजीयक सहकारी संस्थाएं या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त पंजीयक स्तर से कम का न हो 4. प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, 5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग 6. अपर मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)/मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग।	भारत सरकार आदिम जाति मामलों के मंत्रालय के पत्र सी.पी.एण्ड आर दिनांक 14.06.2006 द्वारा निर्देशित है कि संघ के संचालक मण्डल में भारत शासन के आदिम जाति कल्याण मंत्रालय एवं ट्राईफेड, नई दिल्ली के द्वारा एक एक सदस्य को नामांकित किया जाना है, जिस पर शासन की अभिस्वीकृति आवश्यक होगी। भारत शासन के आदिम जाति मामलों के मंत्रालय से लघु वनोपज कार्य के लिये अनुदान प्राप्त होता है। विभिन्न स्तर के अधिकारी शासन के विभाग के प्रमुख होने के कारण क्रमांक 2 में प्रभारी सचिव का उल्लेख किया गया है। वन विभाग के उत्पादन शाखा के प्रभार में इन दोनों स्तर के अधिकारी हो सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के माननीय संचालक मण्डल

निर्वाचित संचालक

- ❖ माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्री एस.एस.बट्टी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्रीमती ब्रह्मनी चन्द्राकार, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्री आर.एन.पाण्डे, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्री पुनीत राम सिन्हा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर

नामांकित संचालक

- ❖ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग
- ❖ प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
- ❖ प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग

पदेन संचालक

- ❖ प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग
- ❖ पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ छत्तीसगढ़, रायपुर
- ❖ प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़, रायपुर
- ❖ मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, रायपुर
- ❖ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, छत्तीसगढ़ रायपुर
- ❖ कार्यकारी संचालक, ट्राईफेड, नई दिल्ली.
- ❖ संचालक, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी क्लब के पास, खम्हरडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभागीय पदनाम
1.	श्री ए.के.सिह	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2.	श्री बी.एल.सरन	कार्यकारी संचालक (वित्त/व्यापार)	मुख्य वन संरक्षक
3.	श्री आर.सी.रैगर	कार्यकारी संचालक (स्था/विकास)	मुख्य वन संरक्षक
4.	श्री अनुप श्रीवास्तव	महाप्रबंधक - I	वन संरक्षक
5.	श्री देवेन्द्र सिंह	महाप्रबंधक - II	वन संरक्षक
6.	श्री एस.एल.साव	उप महाप्रबंधक (भण्डारण)	उप वन संरक्षक
7.	श्री एल.एल.रायस्त	सचिव	उप पंजीयक, सह.समितियां
8.	श्री एच.के.नागदेव	प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक, सह.समितियां
9.	श्री एस.के.दत्ता	प्रणाली विश्लेषक	प्रणाली विश्लेषक
10.	श्री सी.एल.ठाकुर	उप प्रबंधक (लेखा)	सहायक पंजीयक, सह.समितियां
11.	श्री व्ही.के.सेन्दूर	उप प्रबंधक (उत्पादन/भंडारण)	सहायक वन संरक्षक
12.	श्री आलोक ऋषि	उप प्रबंधक (कार्यदल)	सहायक वन संरक्षक
13.	श्री के.के.धनगर	स्टाफ ऑफिसर	स्टाफ ऑफिसर
14.	श्री एस.के.सरीन	सहायक लेखा अधिकारी	अंकेक्षण अधिकारी, सह.समितियां

जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित के अध्यक्ष तथा संघ प्रतिनिधि

क्र.	जिला यूनियन का नाम	नाम	पद	पूर्ण पता	दूरभाष क्रमांक	
					कार्यालय	निवास
1	रायपुर	श्री जयलाल डडसेना	अध्यक्ष	मु.पो.रिकोकला, व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर	2427640	93018-11955
		श्री बलभद्र सिंह ठाकुर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बरपानी, पो.सोनपुर व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर	2427640	93290-64321
2	पूर्व रायपुर	श्री रज्जन लाल खेरे	अध्यक्ष	ग्राम बि.नवागढ़, पो.आ. एवं तह.बि.नवागढ़, जिला रायपुर (छ.ग.)	2432095	-
		श्री रामनारायण	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट फिंगेश्वर, तह.राजिम जिला रायपुर	2432095	--
3	उदन्ती (गरियाबंद)	श्री नरोत्तम साहू	अध्यक्ष	ग्राम बोईरगांव, पो.व तह. मैनपुर, जिला रायपुर	07706-241407	94060-48400
		श्री पुनीत राम सिन्हा	संघ प्रतिनिधि	ग्राम छैलडोंगरी, पोस्ट गोहरापादर, तहसील मैनपुर, जिला रायपुर	07706-241407	099375-35652 97701-18237
4	महासमुंद	श्री हितेश चन्द्राकर	अध्यक्ष	ग्राम + पो. खुसरूपाली, जिला-महासमुंद	07723-222084	9424205204
		श्री रविशंकर गोड़	संघ प्रतिनिधि	ग्राम डोंगरीपाली पोस्ट छोटे लोरम जिला महासमुंद	07723-222084	9754938307
5	धमतरी	श्री अखिलेश प्रजापति	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट गट्टासिल्ली	07722-238371	9406201354
		श्री आलोक सिन्हा	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट नगरी	07722-238371	
6	बिलासपुर	श्री नंदलाल चेचाम	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट खुड़िया, जिला रायगढ़	0775226082	9179127907
		श्री तीजम सिंह मरावी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम ठरकपुर, पोस्ट खम्हरिया जिला बिलासपुर	0775226082	9754239341
7	मरवाही	श्री मनोहर सिंह राज	अध्यक्ष	ग्राम पोस्ट छतौना, बाया बेलगहना, तह.कोटा जिला बिलासपुर	07751-200895	9406211187
		श्री डोमन सिंह राज	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बरड़, पोस्ट मजवानी, तहसील कोटा, बिलासपुर	07751-200895	
8	रायगढ़	श्री नृपत सिंह राठिया	अध्यक्ष	ग्राम-बैहामुड़ा, पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा	07762-224426 226047 फैक्स	9301777396
		श्री नृपत सिंह राठिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम-बैहामुड़ा, पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा	07762-224426	9301777396
9	धरमजयगढ़	श्री संतराम राठिया	अध्यक्ष	ग्राम कमरई, पोस्ट सुक्कालो, तहसील लैलूंगा, जिला रागयड़	07766-266231 266729	9752323021
		श्रीमती मनकुवंर राठिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बरतापाली, पोस्ट गेरसा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रागयड़	07766-266231 266729	07762-246058 9329707482

10	कटघोरा	श्री बलभद्र सिंह	अध्यक्ष	ग्रा.पो.नुसेरा, तह.पाली, जिला कोरबा	07815-250157 250018(फैक्स)	
		श्री अक्षय कुमार अग्रवाल	संघ प्रतिनिधि	ग्राम लखनपुर, पोस्ट सुतरा, तह.कटघोरा, जिला कोरबा	07815-250157 250018(फैक्स)	
11	कोरबा	श्री चमार सिंह	अध्यक्ष	ग्रा.पो. केरवांदारी, कोरबा	07759-223531 221273	
		श्री उद्धोराम कश्यम	संघ प्रतिनिधि	मु.सण्डैल, पो.सरगंडिया, जिला कोरबा	07759-223531 221273	9009939738
12	जाजगीर-चांपा	श्री जगेश्वरसिंह राज	अध्यक्ष	मुकाम पोस्ट देवरमाल, तह.जिला जॉजगीर-चांपा	07819-244622	9329508924
		श्री चुन्नीलाल साहू	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट खिसोरा, जिला जॉजगीर- चांपा		9981172172
13	दुर्ग	श्री यज्ञदत्त शर्मा	अध्यक्ष	ग्राम आमापारा, तह. बालोद, जिला दुर्ग	0788-2210268	9425561062
		श्री गंगाराम ठाकुर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम कजेली, तहसील बालोद, जिला दुर्ग	0788-2210268	.
14	राजनांदगांव	श्री शत्रुघ्न सिंह टेकाम	अध्यक्ष	ग्राम बोरियामुकासा, पो. खडगांव, तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव	07744-225059 224802	.
		श्रीमती ब्रह्मानी चंद्राकर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम अछोली, पोस्ट आमगांव, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव	07744-225059 224802	99932-93118, 07745-256050
15	खैरागढ़	श्री मोतीराम उर्इके	अध्यक्ष/ संघ प्रतिनिधि	ग्राम खमपुरा, पो. बोरतालाब, तह.डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव	07820-234278	9754420366
16	कवर्धा	श्री सुदर्शन साहू	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट खैरबना, तह.कवर्धा, जिला कबीरधाम	07741-232328	94241-30730
		श्री पंचराम धुर्वे	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट कुकदुर, तह.कवर्धा, जिला कबीरधाम	07741-232328	9407653051
17	जगदलपुर	श्री रामनाथ भारती	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट घोटिया	07782-223390	94063-61885
		श्री केदारनाथ साहनी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम माडपाल, पोस्ट कुरन्दी, जिला बस्तर	07782-223390	9009836208
18	दन्तेवाड़ा	श्री चैतराम अटामी	अध्यक्ष	ग्राम कसोली छिंदनार, तह.गोदम जिला दन्तेवाड़ा	07856-252228	9406075256
		श्री सुकमन सोढ़ी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम डारापार, तह.भैरंगढ़, जिला बीजापुर	07856-252228	
19	सुकमा	श्री करटम देवा	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट पोलमपल्ली, तह.कोंटा, जिला द.ब. दन्तेवाड़ा	07864-284209	94077-08736
		श्री कवासी रमेश	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट रामाराम तह.कोंटा, जिला.द.ब. दन्तेवाड़ा	07864-284209	

20	बीजापुर	श्री कुवरसिंह भज्जी	अध्यक्ष	ग्राम. केरपे, पो.करकेली, तह. भोपालपटनम, जिला बीजापुर	07853-220236	9407644405
		श्री नीलम गनपत	संघ प्रतिनिधि	ग्राम-गुलापेट्रा पो.-चंदनगिरी तह. भोपालपटनम जि. -बीजापुर	07853-220236	9424298885
21	कांकेर	श्री विजय मण्डावी	अध्यक्ष	ग्राम+पो.उड़कुड़ा, तह. चारामा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)	07868-222006	
		श्री सगे सिंह वट्टी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पौस्ट धनसेरा, तह.नरहरपुर, जिला उ.ब. कांकेर	07868-222006	
22	दक्षिण कोंडागांव	श्री तोलूराम शोरी	अध्यक्ष	ग्राम करमरी, पो.आ. जोड़केरा, तह. कोंडागांव, जिला बस्तर (छ.ग.)	07786-243402	
		श्री सुकदास शार्दुल	संघ प्रतिनिधि	ग्राम गिरोला, पौस्ट गिरोला, तह.कोंडागांव जिला बस्तर	07786-243402	
23	उत्तर कोंडागांव	श्री हरिराम नाग	अध्यक्ष	ग्राम बेलगांव, पौस्ट धनोरा, तह.केशकाल, जिला बस्तर	07786-242234	9179574460
		श्री हेमंत शांडिल्य	संघ प्रतिनिधि	ग्राम सुरडोंगर, पौस्ट तह. केशकाल, जिला बस्तर	07786-242234	
24	नारायणपुर	श्री मैनुराम कुमैठी	अध्यक्ष	ग्राम-माहका, पौस्ट बिजली, जिला नारायणपुर	252253 252228	9424276987
		श्री प्रेमलाल	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बैनूस, पौस्ट बैनूर, जिला नारायणपुर	252253 252228	9406284843
25	पश्चिम भानुप्रतापपुर	श्री सोमारु राम कुरेटी	अध्यक्ष	ग्राम माटपल्ली, पौस्ट संगम, तह.पंखाजुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर	07850-252242 07850-252367	9406283725
		श्री दिवाकर बैरागी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पी.व्ही.39 पौस्ट पी. व्ही.38 तह.पंखाजुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर	07850-252242 07850-252367	9407639895
26	पूर्व भानुप्रतापपुर	श्री रघुनाथ कुमेठी	अध्यक्ष	ग्राम-तहकाल, पौ. एवं तह. अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)	07850-252223 252242 (फैक्स)	
		श्री टीकम टांडिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पौस्ट भीरागांव, तह.भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तरकांकेर,	07850-252223 252242 (फैक्स)	
27	उत्तर सरगुजा	श्री सिंगाचंद सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-मायापुर, पो.-चन्दौरा, तह. प्रतापपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)	07774-240339 241543	
		श्री कृष्ण मुरारी यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम गाजर, पौस्ट रामचंदपुर, जिला सरगुजा	07774-240339 241543	
28	दक्षिण सरगुजा	श्री संतोष सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-सेंधोपारा (चन्द्रमेढ़ा) जिला सरगुजा (छ.ग.)	07774-241600 240400(फैक्स)	
		श्री मुरारीलाल सिंह	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पौस्ट डेंडरी, सूरजपुर, जिला सरगुजा	07774-241600 240400(फैक्स)	

29	पूर्व सरगुजा	श्री हरिकिशन सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-पहारपारा, पोस्ट-परसा, जिला सरगुजा (छ.ग.)	240408	
		श्री करमदेव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम ओंकारनगर, पोस्ट महाराजगंज, जिला सरगुजा	240408	
30	कोरिया	श्री रामनाथ सिंह कंवर	अध्यक्ष	ग्राम सरभोका, पोस्ट कुड़ली, तह.बैकुंठपुर, जिला कोरिया	07836-233564	9754123667
		श्री रूपनारायण पाण्डेर्य	संघ प्रतिनिधि	ग्राम मुड़ीझिरिया, पोस्ट पतेरापाली, तह.बैकुंठपुर, जिला कोरिया	07836-233564	9424253575
31	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती इरावती वेक	अध्यक्ष	ग्राम मनवारी पो. केल्हारी तह. मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	07771241349	9098145794
		श्री रामराज सिंग	संघ प्रतिनिधि	ग्राम चरखर पो. सिंगरौली तह. भरतपुर जिला कोरिया	07771241349	9407707888
32	जशपुरनगर	श्री बजरंग राम धुव	अध्यक्ष	ग्राम बरपानी, पोस्ट लुड़ेग, तह.पत्थलगांव, जिला जशपुर	07763-223224	9893004129
		श्री रामस्वरूप यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम खैरापाठ, पोस्ट कामरिया, तह.बर्गीचा, जिला जशपुर	07763-223224	9406127395